सत्यमेव जयते

# वार्षिक रिपोर्ट

## 2024-25

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

# विषय सूची


| क्र.सं. | अध्याय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | परिचय | |
| 2. | रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग का सिंहावलोकन | |
| 3. | पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) | |
| 4. | पेट्रोरसायन की नई योजना और संवर्धनात्मक गतिविधि तथा प्रमुख कार्यक्रम | |
| 5. | अन्तर्राष्ट्रीय समझौते एवं संधियां | |
| 6. | भोपाल गैस रिसाव आपदा | |
| 7. | रसायन एवं पेट्रोरसायन उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार एवं व्यापार आसूचना | |
| 8. | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम | |
| 9. | स्वायत्त संस्थान | |
| 10. | सामान्य प्रशासन | |

## अध्याय–1

# परिचय

1.1 विभाग को निम्नलिखित व्यापक विषय–वस्तुओं से संबंधित कार्यों को निष्पादित करने का अधिदेश प्राप्त है:–

I. कीटनाशक (कीटनाशक अधिनियम, 1968 (1968 का 46) के प्रशासन को छोड़कर;

ii- डाई–सामग्री और डाई–इंटरमीडिएट;

iii. सभी कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, जो किसी अन्य विभाग या मंत्रालय को विशेष रूप से आवंटित नहीं किए गए हों;

iv. विभाग द्वारा डील किए जा रहे सभी उद्योगों का नियोजन, विकास और नियंत्रण और उनकी सहायताय

v. भोपाल गैस रिसाव आपदा – उससे संबंधित विशेष कानून;

vi. पेट्रोरसायन;

vii. गैर–सेल्युलोज सिंथेटिक फाइबर (नाइलोन, पॉलिस्टर, एक्रीलिक इत्यादि) के उत्पादन से संबंधित उद्योगय;

viii. सिंथेटिक रबर; और

ix. प्लास्टिक के फैब्रिकेशन सहित प्लास्टिक और मोल्डिड वस्तुएं।

**1.2** विभाग के पांच प्रमुख प्रभाग हैं – रसायन, पेट्रोरसायन, प्रशासन, सांखयिकी एवं मॉनीटरिंग (एसएंडएम) और आर्थिक प्रभाग। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तीनों विभागों का एक ही एकीकृत वित्त प्रभाग है।

**1.3** रसायन क्षेत्र में तीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू), नामतः हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि. (एचओसीएल), हिल (इंडिया) लि. तथा एचओसीएल की सहायक कंपनी हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि. (एचएफएल) (टिप्पणीरू एचएफएल वर्तमान में कार्यरत नहीं है।) हैं। इस विभाग के अधीन केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) और कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) दो स्वायत्त संस्थान हैं।

**1.4** श्री जगत प्रकाश नड्डा रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। श्रीमती अनुप्रिया पटेल रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री हैं और श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग की सचिव हैं।

*****

अध्याय–2

# भारत में रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग का सिंहावलोकन

## रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग का विजन

**2.1** विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से, विभाग देश में रसायनों और पेट्रोरसायनों के उत्पादन को बढ़ाने और आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। इसमें देश में रसायनों और पेट्रोरसायनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने, नवाचार और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने, संधारणीय प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देने, कुशल जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ाने और क्षेत्र में सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाना शामिल है।

## रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग

**2.2** रसायन उद्योग खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें मूल रसायन और उनके उत्पाद, पेट्रोरसायन, उर्वरक, पेंट, वार्निश, गैस, साबुन, पर्फ्यूम और प्रसाधन सामग्री तथा फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। रसायन उद्योग में बहुत विविधता है और इसमें अस्सी हजार से ज़्यादा वाणिज्यिक उत्पाद शामिल हैं। पेट्रोरसायन, जिसमें प्लास्टिक और कई अन्य रसायन शामिल हैं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से प्राप्त डाउनस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन हैं। पेट्रोरसायन श्रृंखला में मूल्य वर्धन अपार संभावनाएँ प्रदान करता है और कपड़ा और परिधान, कृषि, ऑटोमोबाइल और अन्य उभरते क्षेत्रों सहित बड़ी संख्या में उद्योगों की जरूरतों को पूरा करता है। यह उद्योग देश के औद्योगिक और कृषि विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

**2.3** यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय रसायन उद्योग ने वर्ष 2000 से अब तक कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 3.0% का योगदान दिया है। वर्ष 2014–2023 के दौरान इस क्षेत्र में कुल एफडीआई 94,540 करोड़ रुपये था, जबकि वर्ष 2003–04 से 2013–14 तक यह 45,240 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में मौजूदा कीमतों पर रसायन क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन का हिस्सा लगभग 9.8% और वित्त वर्ष 2022–23 में इसके राष्ट्रीय जीवीए का 1.4% है। वित्त वर्ष 2017–18 से वित्त वर्ष 2022–23 की अवधि के दौरान सकल मूल्य वर्धन में औसतन 9% की सीएजीआर वृद्धि हुई है।

**2.4** वर्ष 2022–23 में उत्पादन मूल्य के संदर्भ में भारतीय रसायन उद्योग का आकार मौजूदा कीमतों पर 15,76,459 करोड़ रुपये था। मौजूदा कीमतों पर पिछले पांच वर्षों के दौरान रसायन एवं रासायनिक उत्पादों का उत्पादन 13% की सीएजीआर से बढ़ा है।

**2.5** 2014–15 में 41,887 हजार मीट्रिक टन उत्पादन की तुलना में 2023–24 में प्रमुख रसायनों और पेट्रोरसायनों का उत्पादन 55,126 हजार मीट्रिक टन था। 2024–25 (अप्रैल–सितंबर 2024) में कुल प्रमुख रसायनों और पेट्रोरसायनों का उत्पादन 28,292 हजार मीट्रिक टन है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 27630 हजार मीट्रिक टन उत्पादन से अधिक है। वर्ष 2019–20 से 2024–25 (सितंबर 2024 तक) के दौरान चुनिंदा प्रमुख रसायनों और पेट्रोरसायनों का उत्पादन अनुलग्नक– I और II में दिया गया है।

**2.6** वित्त वर्ष 2023–24 में प्रमुख रासायनिक समूहों के उत्पादन के सबसे बड़े हिस्से के साथ अल्कली रसायन सबसे ऊपर हैं, जिनका कुल रसायन उत्पादन में 71% हिस्सा है। उसके बाद 15% के साथ कार्बनिक रसायन आते हैं, जबकि अकार्बनिक रसायन 9% का योगदान देते हैं। कीटनाशकों का हिस्सा 2% है, और डाई और पिगमेंट्स का

हिस्सा 3% है। पेट्रोरसायन में पॉलिमर्स सबसे बड़े हिस्से के साथ ऊपर हैं, जिनका कुल उत्पादन में 30% हिस्सा है, इसके बाद 29% के साथ ओलेफिन्स आते हैं। फाइबर इंटरमीडिएट्स का 12%, सिंथेटिक यार्न का 9%, एरोमेटिक्स का 8% और अन्य पेट्रो–आधारित रसायन का 6% योगदान है। परफोर्मेन्स प्लास्टिक का योगदान 3% है, जबकि सिंथेटिक रबर और सिंथेटिक डिटर्जेंट इंटरमीडिएट्स दोनों में से प्रत्येक वित्त वर्ष 2023–2024 में प्रमुख पेट्रोरसायन समूह के लिए कुल उत्पादन के क्रमशः 1% और 2% का प्रतिनिधित्व करते हैं।

**2.7** 2023–24 में रसायन और पेट्रोरसायन की स्थापित क्षमता 69,308 (000श मीट्रिक टन) थी। वित्तीय वर्ष 2023–24 में मूल प्रमुख रसायन और मूल प्रमुख पेट्रोरसायन के लिए स्थापित क्षमता उपयोग दर क्रमशः 76.2% और 80.6% थी। इसी अवधि के लिए कुल क्षमता उपयोग दर 79.5% रही। 2022–23 के दौरान इस क्षेत्र में 10.58 लाख लोग कार्यरत थे। मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों के संगठित क्षेत्र में 3.1% की वृद्धि दर दर्ज की गई।

**टिप्पणीः**

1. स्थापित क्षमता और उत्पादन से संबंधित संपूर्ण डेटा चुनिंदा 245 मध्यम और बड़े उद्योगोंध्इकाइयों से लिया गया है और रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा एकत्र किया जा रहा है।
2. कुल मूल रसायन और पेट्रोरसायन उत्पादन को केवल बड़े और मध्यम पैमाने की इकाइयों के तहत रसायनों के विनिर्माताओं से प्राप्त मासिक उत्पादन रिटर्न के आधार पर एकत्रित किया जाता है। प्रमुख रसायनों और प्रमुख पेट्रोरसायनों के लिए स्थापित क्षमता और उत्पादन का उत्पादवार और समूहवार विवरण क्रमशः अनुलग्नक–**I** और **II** में दिया गया है।)
3. जीवीए, उत्पादन और रोजगार से संबंधित सूचना सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से ली गई है।
4. एफडीआई से संबंधित सूचना डीपीआईआईटी से ली गई है।

*****

अध्याय–3

# पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर)

## पृष्ठभूमि

**3.1** पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) की अवधारणा का उद्देश्य पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर एकीकृत और पर्यावरण अनुकूल तरीके से बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2007 में पीसीपीआईआर नीति तैयार की। पीसीपीआईआर की परिकल्पना साझा अवसंरचना और सहायक सेवाओं के उपयोग के माध्यम से सह–साइटिंग, नेटवर्किंग और अधिक दक्षता के लाभों को प्राप्त करने के लिए की गई थी।

**3.2** प्रत्येक पीसीपीआईआर एक विशेष रूप से चिन्हित निवेश क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 250 वर्ग किलोमीटर है (जिसमें से लगभग 40: क्षेत्र प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए निर्धारित है)। संबंधित राज्य सरकार के लिए पीसीपीआईआर से युक्त संपूर्ण क्षेत्र का अधिग्रहण करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन उन्हें संबंधित क्षेत्र नियोजन और जोनिंग कानून के तहत इस क्षेत्र को अधिसूचित करना होगा। एक पीसीपीआईआर, उत्पादन परियोजनाओं, सार्वजनिक उपयोगिताओं, लॉजिस्टिक, पर्यावरण संरक्षण सुविधाओं, आवासीय क्षेत्रों और प्रशासनिक सेवाओं का एक संयोजन होता है।

**3.3** एक बार प्रस्ताव अनुमोदित हो जाने पर, संबंधित राज्य सरकार या उसकी एजेंसी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा अनुमोदित संदर्भ शर्तों के आधार पर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का करती है। पर्यावरण निकासी (ईसी) एमओईएफ एंड सीसी की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन के बाद दी जाती है।

**3.4** नीति में प्रावधान है कि प्रत्येक पीसीपीआईआर में एंकर टेनेंट के रूप में एक रिफाइनरीध्पेट्रोरसायन फीडस्टॉक कंपनी होगी। भारत सरकार पीसीपीआईआर के लिए बाहरी भौतिक अवसंरचना संबंधी लिंकेज की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, जिसमें रेलवे, सड़क, पोर्ट, हवाई अड्डे और दूरसंचार की कनेक्टिविटी भी शामिल है। जहाँ तक संभव हो इस अवसंरचना को सार्वजनिक–निजी भागीदारी परियोजनाओं के माध्यम से बनाया या उन्नत किया जाता है। केंद्र सरकार ऐसी परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने के लिए आवश्यक वित्त पोषण भी प्रदान करती है, जिसे व्यवहार्यता अंतर निधियन (वीजीएफ) कहा जाता है, साथ ही संबंधित मंत्रालयों और वित्त मंत्रालय के माध्यम से इन लिंकेजिस के निर्माण के लिए बजट सहायता भी प्रदान करती है।

**3.5** पीसीपीआईआर की स्थापना में संबंधित राज्य सरकार मुख्य भूमिका निभाती है। लिंकेज के समन्वय के लिए एक नोडल विभाग या एजेंसी अधिसूचित की जाती है। संबंधित कानून के तहत प्रत्येक पीसीपीआईआर के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एक प्रबंधन निकाय पीसीपीआईआर के विकास और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। पीसीपीआईआर की आंतरिक अवसंरचना के प्रबंधन के लिए एक डेवलपर या सह–डेवलपर्स के समूह को पारदर्शी तंत्र के माध्यम से चुना जाता है।

## कार्यान्वयनाधीन पीसीपीआईआरः

इस नीति के अंतर्गत, 3 पीसीपीआईआर निम्नानुसार कार्यान्वित किए जा रहे हैं:

- गुजरात –भरूच जिले के दाहेज में

- आंध्र प्रदेश –यह पीसीपीआईआर क्षेत्र विशाखापट्टनम से काकीनाडा और पूर्वी गोदावरी जिलों तक फैला हुआ है।
- ओडिशा–केंद्रपाड़ा के पारादीप और जगतसिंहपुर जिले में

### 3 पीसीपीआईआर की तुलनात्मक स्थितिः–

| स्थान/ क्षेत्र | दाहेज, भरूच | विशाखापट्टनम- काकीनाडा | पारादीप | कुल |
|---|---|---|---|---|
| अनुमोदन की तारीख | फरवरी, 2009 | फरवरी, 2009 | दिसम्बर, 2010 | |
| कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) | 453.0 | 640.0 | 284.15 | 1377.15 |
| प्रसंस्करण क्षेत्र (वर्ग किमी.) | 230.0 | 270.0 | 123.0 | 623.0 |
| किये गये निवेश (करोड़ रूपये में) | 1,28,509 | 58,918 | 73,518 | 2,60,945 |
| सृजित रोजगार (सं.) | 2,45,140 | 86,123 | 40,000 | 3,71,263 |
| रासायनिक इकाइयों की संख्या | 626 | 150 | 48 | 824 |

### 3.6 गुजरात पीसीपीआईआर

i. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने फरवरी, 2009 में गुजरात के दाहेज में पीसीपीआईआर की स्थापना को मंजूरी दी थी। पीसीपीआईआर को कार्यान्वित करने के लिए जनवरी 2010 में रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, भारत सरकार और गुजरात सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

ii. गुजरात पीसीपीआईआर का कार्यान्वयन भरूच जिले के दाहेज में 453 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में किया जा रहा है। पीसीपीआईआर को गुजरात विशेष निवेश क्षेत्र (जीएसआईआर) अधिनियम, 2009 के तहत अधिसूचित किया गया है। यह दिल्ली–मुंबई औद्योगिक गलियारे के पूर्व में और पश्चिमी तटरेखा के पास रणनीतिक रूप से स्थित है। मौजूदा एस्टेट में 11,158 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक उपयोग के लिए और 656 हेक्टेयर भूमि आवासध्वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए निर्धारित है।

iii. एंकर टेनेंट अर्थात मेसर्स ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड (ओपीएएल) ने दाहेज एसईजेड में एक डुअल फीड क्रैकर कॉम्प्लेक्स स्थापित किया है, जिसकी 1.1 मिलियन टनध्वर्ष (एमएमटीपीए) एथिलीन और 0.6 एमएमटीपीए प्रोपलीन की उत्पादन क्षमता है, साथ ही डाउनस्ट्रीम पॉलीमर प्रोसेसिंग यूनिट (पॉलीइथिलीन और पॉलीप्रोपलीन) की समान क्षमता भी है। एंकर टेनेंट ने परियोजना के निष्पादन और उसे चाले करने के लिए अब तक 30,826 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यह परियोजना मार्च, 2017 के पहले सप्ताह में चालू हो गई है।

iv. 14.09.2017 को गुजरात पीसीपीआईआर के विकास के लिए 853.41 हेक्टेयर वन भूमि को छोड़कर 44445.18 हेक्टेयर क्षेत्र अर्थात 853.41 हेक्टेयर के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरणीय और तटीय विनियिमन क्षेत्र (सीआरजेड) संबंधी मंजूरी दी थी।

v. पीसीपीआईआर का अहमदाबाद (दूरी–250 किमी) में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, वडोदरा (90 किमी) और सूरत (85 किमी) में घरेलू हवाई अड्डों के साथ हवाई संपर्क है।

vi. दाहेज में पोर्ट सुविधाओं का विवरण इस प्रकार हैः

   i. दाहेज में अडानी पेट्रो नेट पोर्ट की क्षमता 11 एमएमटीपीए है

   I. जीसीपीटीसीएल लिक्विड केमिकल्स टर्मिनल (4.9 एमएमटीपीए) जीसीपीटीसीएल

   iii. एलएनजी पेट्रो नेट लिमिटेड का एलएनजी पोर्ट (10 एमएमटीपीए)

   iv. रिलायंस की लिक्विड फ्यूल जेटी (2एमएमटीपीए)

   v. बिरला कॉपर की सॉलिड कार्गो जेटी (5 एमएमटीपीए)

vil. जीआईडीसी ने दाहेज जीआईडीसी एस्टेट में 40 एमएलडी क्षमता वाली सीईटीपी सुविधा स्थापित की है। सैखा औद्योगिक एस्टेट में 40 एमएलडी क्षमता वाली एक और सीईटीपी प्रस्तावित है। दोनों सीईटीपी चालू हो चुके हैं।

### 3.7 आंध्र प्रदेश पीसीपीआईआरः

i. आंध्र प्रदेश पीसीपीआईआर को विकसित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 24.05.2008 के शा. आ. संख्या 373 के तहत विशेष विकास प्राधिकरण (एसडीए) का गठन किया गया है।

ii. आंध्र प्रदेश पीसीपीआईआर में 6 मौजूदा एसईजेड नामतः ब्रांडिक्स एसईजेड, फारम एसईजेड, एपी–एसईजेड, हेटेरो ड्रग एसईजेड, काकीनाड़ा और पैरी फूड प्रोडक्ट एसईजेड शामिल हैं।

iii. मेसर्स एचपीसीएल बिना रिफाइनरी के पेट्रोरसायन कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने की प्रक्रिया में है। मेसर्स एचपीसीएल ने सूचित किया है कि व्यवहार्यता की कमी के कारण, रिफाइनरी स्थापित करने के लिए ग्रीन फील्ड परियोजना साकार नहीं हो पाई है और वे बिना रिफाइनरी के पेट्रोरसायन कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने की प्रक्रिया में हैं।

iv. एपी पीसीपीआईआर के पास 3 मौजूदा पोर्ट हैं, काकीनाडा,गंगावरम और विशाखापत्तनम।

v. 1 एमएलडी कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) अचुटापुरम एसईजेड चालू हो चुका है, जबकि ब्रांडिक्स, जेएनपीसी–परवाड़ा में सीईटीपी और हेटेरो एसईजेड नक्कापल्ली में सीईटीपी पूरा हो चुका है।

vi. ब्रांडिक्स में 220 केवी उप–स्टेशन का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि केएसईजेड में 440 केवीध्220 केवी उप–स्टेशन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

vii. सड़क, रेल संपर्क, जल आपूर्ति, अपशिष्ट उपचार और समुद्री निकास परियोजनाएं अध्ययन से लेकर कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

### 3.8 ओडिशा पीसीपीआईआरः

i. पारादीप पीसीपीआईआर ओडिशा के केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर जिलों में 284 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। पारादीप पीसीपीआईआर का मास्टर प्लान परामर्शदाता द्वारा पहले ही पूरा कर लिया गया है। मास्टर प्लान की अधिसूचना के लिए पारादीप विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र को ग्रेटर पारादीप विकास

प्राधिकरण में बढ़ाने के बाद इसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस बीच, कार्यान्वयन एजेंसी ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (आईडीसीओ) ने पारादीप विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ओडिशा सरकार से अनुरोध किया है।

ii. पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (ईपीटीआरआई), हैदराबाद द्वारा विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) किया जा रहा है। जन सुनवाई के बाद, पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) को ईसी प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत की गई। ईएसी ने कुछ टिप्पणियाँ की हैं। परामर्शदाता उपरोक्त टिप्पणियों के अनुपालन की तैयारी कर रहा है और उम्मीद है इसे जल्द ही ईएसी को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

iii. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पारादीप स्थित 15 एमएमटीपीए क्षमता वाली रिफाइनरी फरवरी, 2016 में चालू की गई थी। यह रिफाइनरी पीसीपीआईआर के विकास के लिए एंकर टीनेंट भी है।

iv. ओडिशा पीसीपीआईआर में मौजूदा औद्योगिक इकाइयों में चूड़ीवाल टेक्नो पैक प्राइवेट लिमिटेड, चिरपाल पॉलीफिल्म्स लिमिटेड, आयन एक्सचेंज लिमिटेड, धुनसेरी वेंचर्स लिमिटेड, इफको लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, पूर्व पैकेजिंग, साई बल्क बैग प्राइवेट लिमिटेड, सिलोक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रिन्यू इफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, निगाज पारादीप प्राइवेट लिमिटेड, ड्राई केम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, आईवीएल धुनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आयन एक्सचेंज (इंडिया) लिमिटेड, पेरल प्रिसिजन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

*****

अध्याय–4

# पेट्रोरसायन की नई योजना और संवर्धनात्मक गतिविधि तथा प्रमुख कार्यक्रम

**4.1** पेट्रोरसायन की नई योजना

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग पेट्रोरसायन की नई योजना के तहत निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित करता है:

क. प्लास्टिक पार्कों की स्थापना

ख. उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना

ग. राष्ट्रीय पेट्रोरसायन पुरस्कार, जिन्हें अब संशोधित करके पेट्रोरसायन अनुसंधान एवं नवाचार प्रशस्ति योजना कर दिया गया है।

घ. रसायन संवर्धन विकास योजना (सीपीडीएस)

## (क) प्लास्टिक पार्कों की स्थापना

**4.2** इस योजना का उद्देश्य घरेलू डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को समेकित और समन्वित करने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से आवश्यक अवसंरचना और सक्षम सामान्य सुविधाओं के साथ प्लास्टिक पार्क स्थापित करना है। इस योजना का बड़ा उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेश, उत्पादन, निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में योगदान करना है।

**4.3** इस योजना के तहत भारत सरकार परियोजना लागत के 50% तक वित्त पोषण प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परियोजना 40 करोड़ रुपये की है। शेष परियोजना लागत का वित्तपोषण राज्य सरकार या उनकी एजेंसियों, लाभार्थी उद्योगों आदि द्वारा किया जाता है।

**4.4** मध्य प्रदेश (दो), ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के राज्यों में अब तक 10 प्लास्टिक पार्कों को मंजूरी दी गई है। ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जैसा अनुलग्नक–III में बताया गया है:

## (ख) उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना

**4.5** इस योजना का उद्देश्य देश में मौजूदा पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में सुधार लाना तथा पॉलिमर और प्लास्टिक के नए अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देना है। 2017 तक कार्यान्वित किए गए योजना के पहले चरण में भारत सरकार ने कुल परियोजना लागत के अधिकतम 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसकी अधिकतम सीमा 6 करोड़ रुपये की थी। संशोधित दिशा–निर्देशों के अनुसार, सरकारी सहायता की अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये है।

**4.6** अब तक 13 उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनका विवरण अनुलग्नक–IV में दिया गया है:

## (ग) पेट्रोरसायन अनुसंधान एवं नवाचार प्रशस्ति योजना (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय पेट्रोरसायन पुरस्कार)

**4.7** विभाग पेट्रोरसायन और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट नवाचारों और आविष्कारों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक पुरस्कार योजना कार्यान्वित कर रहा है। अब तक पुरस्कारों के 11 संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं।

**4.8** गृह मंत्रालय की सलाह के अनुसार, 'राष्ट्रीय पेट्रोरसायन पुरस्कार' की योजना को संशोधित कर 'पेट्रोरसायन अनुसंधान और नवाचार प्रशस्ति योजना' कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य देश में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है ताकि बेहतर ऊर्जा खपत, अधिक कुशल प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, उत्पाद जीवन चक्र में वृद्धि, नवीन नए उत्पादों का विकास और गुणवत्ता मानक आदि सुनिश्चित किए जा सकें।

## (घ) रसायन संवर्धन विकास योजना (सीपीडीएस)

**4.9** रासायनिक संवर्धन विकास योजना (सीपीडीएस) रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के रसायन प्रभाग में 1997 से कार्यान्वित की जा रही है। सीपीडीएस का उद्देश्य अध्ययन, सर्वेक्षण, डेटा बैंक, प्रचार सामग्री आदि के माध्यम से ज्ञान उत्पादों के निर्माण और इन क्षेत्रों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सेमिनार, सम्मेलन, प्रदर्शनी आदि के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करके रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग के विकास और वृद्धि को सुविधाजनक बनाना है। इस योजना का उद्देश्य रसायन और पेट्रोरसायन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों को पुरस्कृत करके अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना भी है।

**4.10** इस योजना का उद्देश्य विभिन्न संगठनों/उद्योग संघों आदि को कार्यशालाएं, सेमिनार, अध्ययन आदि आयोजित करने के लिए अनुदान–सहायता (सामान्य) के रूप में सहायता प्रदान करना है, ताकि रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न नीतिगत मामलों पर विभाग को अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

**4.11** सीपीडीएस के तहत इंडिया केम, एडवांसमेंट इन पॉलीमेरिक मैटीरियल (एपीएम), नेशनल अवॉर्ड्स, ग्लोबल केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया (जीसीपीएमएच) जैसे बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो राष्ट्रीयध्अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने, प्रौद्योगिकियों के स्वदेशीकरण और आयात प्रतिस्थापन के लिए अनुसंधान एवं विकास के लिए उपयोगी हैं। हरित प्रौद्योगिकी, रसायन सुरक्षा और हैंडलिंग, कीटनाशकों आदि पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनसे रसायन उद्योगों और किसानों को लाभ होता है। सिपेट और आईपीएफटी, इस विभाग के स्वायत्त निकाय और डीएमएआई, एएमएआई, फिक्की, सीआईआई, आईसीसी आदि जैसे उद्योग संघ भारतीय रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग के विकास के लिए उपयोगी विषयों पर छोटे–छोटे कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

**4.12** इंडिया केम और ग्लोबल केमिकल्स पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब (जीसीपीएमएच) शिखर सम्मेलन इस योजना के तहत आयोजित विभाग का सबसे बड़ा संयुक्त द्विवार्षिक आयोजन है। ये आयोजन रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल विकास, स्थिरता पहलों के दायरे को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

**4.13** वर्ष 2016 से, इस विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, हिल (इंडिया) लिमिटेड, फसलों में कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग पर सीपीडीएस के तहत किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और खाद्यान्नों, खाद्य तेलों, फलों और सब्जियों में कीटनाशकों के अवशेषों को कम करने के लिए

एकीकृत कीट प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के प्रति किसानों में जागरूकता पैदा कर रहा है। वर्ष 2022–23 से, आईपीएफटी भी सीपीडीएस के तहत किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। अब तक देश के विभिन्न भागों में लगभग 135 जिलों में लगभग 203 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य किसान आत्महत्या, मिट्टी के क्षरण, भूमिगत जल निकायों, जानवरों, पक्षियों और मनुष्यों को होने वाले नुकसान की समस्या का समाधान करना है, जो कृषि रसायनों के अंधाधुंध/अत्यधिक उपयोग के कारण खाद्य पदार्थों में अवशिष्ट कीटनाशकों के प्रतिकूल प्रभाव के अधीन हैं। 2024–25 के दौरान एचआईएल द्वारा किसानों के लिए कुल 14 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

2019–20 से सीपीडीएस के तहत उपयोग की गई धनराशि निम्नानुसार है:

*(करोड़ रुपए में)*

| वर्ष | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | उपयोग की गई धनराशि |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 3.00 | 3.00 | 2.93 |
| 2020-21 | 3.50 | 2.80 | 2.80 |
| 2021-22 | 3.00 | 3.60 | 3.59 |
| 2022-23 | 3.00 | 3.00 | 2.99 |
| 2023-24 | 3.00 | 3.75 | 3.75 |
| **2024-25** | **5.50** | **5.50** | **2.06*** |

(*17/12/2024 तक)

**सीपीडीएस के अंर्तगत संवर्धनात्मक गतिविधियाँ और प्रमुख कार्यक्रम:**

**इंडिया केम 2024**

**4.14** रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के साथ संयुक्त रूप से 17–19 अक्टूबर, 2024 के दौरान मुंबई में 'इंडिया केम' के 13वें संस्करण का आयोजन किया गया।

**4.15** यह आयोजन एशिया–प्रशांत क्षेत्र में रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्रों के लिए सबसे बड़े प्रदर्शनी–सह–सम्मेलन में से एक है। इस आयोजन में भारत के तेजी से बढ़ते रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र में अपार अवसरों को प्रदर्शित किया गया तथा संधारणीय विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी पहलों पर प्रकाश डाला गया।

**4.16** 16 मुख्य सत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल और ओडिशा के उद्योग विभाग के राज्य मंत्री श्री संपद चंद्र स्वैन ने भाग लिया। इसके बाद केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री की अध्यक्षता में वैश्विक सीईओ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर के उद्योग जगत के नेताओं ने भारतीय रसायन उद्योग के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की। इस संस्करण के लिए नीदरलैंड भागीदार देश था, और गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई भारतीय राज्य भागीदार राज्यों के रूप में शामिल थे।

**4.17** इस कार्यक्रम में एक आकर्षक जॉब फेयर का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की 14 अग्रणी रसायन कम्पनियाँ और सिपेट– केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्र शामिल हुए। जॉब फेयर के दौरान छात्रों को संभावित करियर संभावनाओं को तलाशने के लिए उद्योग के साथ बातचीत करने का अवसर मिला।

**4.18** इस कार्यक्रम में 49 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों सहित 172 प्रदर्शकों और 78 वैश्विक सीईओ, 135 वक्ताओं और 689 विदेशी प्रतिभागियों ने भाग लिया। 1,115 भारतीय प्रतिनिधियों और 8,720 व्यावसायिक आगंतुकों के साथ, इंडिया केम 2024 ने रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग के लिए एक प्रमुख सभा के रूप में अपने महत्व की पुष्टि की। डाई और कृषि रसायनों से लेकर पेट्रोरसायन के मुद्दों पर कई सत्र आयोजित किए गए, जिनमें क्षेत्र में नवीनतम विकास के साथ–साथ नवाचार और संधारणीय प्रथाओं को अपनाने के महत्व पर चर्चा हुई। इसके अलावा, भारत–यूरोपीय संघ, भारत–पूर्वी एशिया, भारत–अमेरिका और भारत–रूस रसायन और पेट्रोरसायन फोरम सहित भूगोल–विशिष्ट मुद्दों पर केंद्रित समर्पित सत्र आयोजित किए गए, जिनमें इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया।

## आईसीसी संधारणीयता सम्मेलन

**4.19** भारत सरकार के रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने भारतीय रसायन परिषद (आईसीसी) के सहयोग से 5 और 6 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में छठाँ आईसीसी संधारणीयता सम्मेलन आयोजित किया, जिसका उद्देश्य रसायन विनिर्माण में संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम में 50 से अधिक उद्योग जगत के नेताओं, सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ–साथ दुनिया भर के 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में विनियामक संरेखण, बुनियादी ढांचे के विकास और सार्वजनिक–निजी सहयोग जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। इसने रसायन उद्योग के लिए एक संधारणीय भविष्य को बढ़ावा देने के लिए नवाचार, एकीकरण और सरकारी सहायता के महत्व को रेखांकित किया।

*****

अध्याय–5

# अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और संधियाँ

## 5.1 रासायनिक हथियार अभिसमय (सीडब्ल्यूसी)

रासायनिक हथियार सम्मेलन एक सार्वभौमिक, गैर–भेदभावपूर्ण, बहुपक्षीय, निरस्त्रीकरण संधि है जो सभी रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, उपयोग और भंडारण पर प्रतिबंध लगाती है। यह संधि सभी पक्षकार राष्ट्रों को समान स्तर पर रखती है। रासायनिक हथियार रखने वाले देशों को एक निश्चित समय सीमा में उनके बारे में बताना और नष्ट करना आवश्यक है और जो देश ऐसे रसायनों का उत्पादन और उपयोग करते हैं जिन्हें आसानी से रासायनिक हथियारों में परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें इन रसायनों के उपयोग के बारे में स्पष्ट और पारदर्शी होना चाहिए। 13 जनवरी 1993 को पेरिस में इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए गए।

i. भारत रासायनिक हथियार निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) के रासायनिक हथियार अभिसमय (सीडब्ल्यूसी) का एक हस्ताक्षरकर्ता और पक्षकार है और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है।

ii. भारत ने 14 जनवरी 1993 को पेरिस में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस अभिसमय के प्रावधानों के अनुसरण में, भारत ने रासायनिक हथियार अभिसमय अधिनियम, 2000 को अधिनियमित किया। आज की तारीख में, 193 देश इस अभिसमय के पक्षकार हैं।

iii. रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग सीडब्ल्यूसी अधिनियम, 2000 का प्रशासनिक विभाग है। रासायनिक हथियार अभिसमय अधिनियम, 2000 देश में 1 जुलाई, 2005 से लागू है।

iv. रासायनिक हथियार अभिसमय राष्ट्रीय प्राधिकरण (एनएसीडब्ल्यूसी) की स्थापना 1997 में भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के एक कार्यालय के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत सरकार की ओर से रासायनिक हथियार अभिसमय के तहत दायित्वों को पूरा करना और अभिसमय से संबंधित मामलों पर रासायनिक हथियार निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) और अन्य पक्षकार राष्ट्रों के साथ प्रभावी संपर्क के लिए राष्ट्रीय केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करना है।

v. अभिसमय में रसायनों की तीन अनुसूचियां संलग्न की गई हैं, जिनके बारे में बताना आवश्यक है तथा वे इस प्रकार हैं:

   क. अनुसूची–1 रसायन (16 रसायन) (अर्थात रासायनिक हथियार);

   ख. अनुसूची–2 रसायन (14 रसायन) (अर्थात रासायनिक हथियारों के पूर्ववर्ती);

   ग. अनुसूची–3 रसायन (17 रसायन) (अर्थात दोहरे उपयोग वाले रसायन)।

## 5.2 रॉटरडैम अभिसमय

i. रॉटरडैम अभिसमय कुछ खतरनाक रसायनों के आयात के संबंध में साझा जिम्मेदारियों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुपक्षीय संधि है।

ii. यह अभिसमय सूचना के खुले आदान–प्रदान को बढ़ावा देता है तथा खतरनाक रसायनों के निर्यातकों से उचित लेबलिंग का उपयोग करने, सुरक्षित हैंडलिंग के निर्देश शामिल करने तथा किसी भी ज्ञात प्रतिबंध या रोक के बारे में क्रेताओं को सूचित करने का आह्वान करता है।

iii. हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र यह निर्णय ले सकते हैं कि संधि में सूचीबद्ध रसायनों के आयात की अनुमति दी जाए या उस पर प्रतिबंध लगाया जाए।

iv. अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, अभिसमय में निम्नलिखित दो प्रमुख प्रावधान हैंः–

## 5.2 (क) पूर्व सूचित सहमति (पीआईसी) प्रक्रिया

i. पीआईसी प्रक्रिया आयातक पक्षों से यह सूचना प्राप्त करने की एक प्रणाली है कि क्या वे अभिसमय के अनुलग्नक iii में सूचीबद्ध रसायनों की भावी खेप प्राप्त करना चाहते हैं।

ii. सभी पक्षों को यह निर्णय लेना आवश्यक है कि वे संधि के अनुलग्नक iii में वर्णित प्रत्येक रसायन के भविष्य में आयात की अनुमति देंगे या नहीं। इन निर्णयों को आयात प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है।

iii. सचिवालय द्वारा पीआईसी प्रक्रिया के अधीन प्रत्येक रसायन के लिए दी गई आयात प्रतिक्रियाओं की सूची सभी नामित राष्ट्रीय प्राधिकरणों को हर छह महीने में पीआईसी परिपत्र के माध्यम से परिचालित की जाती है और सभी आयात प्रतिक्रियाएं अभिसमय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

iv. अभिसमय के पीआईसी विनियमन में विभिन्न अनुलग्नक नीचे दिए गए हैंः

v. अनुलग्नक– I: इसमें अधिसूचनाओं के लिए आवश्यक सभी सूचनाएं शामिल हैं।

vi. अनुलग्नक–II: इसमें किसी रसायन पर प्रतिबंध लगाने या उसे प्रतिबंधित करने के लिए अंतिम विनियामक कार्रवाई की अधिसूचना प्रस्तुत करने वाले पक्ष के देश में प्रचलित स्थितियों के संदर्भ में वैज्ञानिक डेटा की समीक्षा के आधार पर जोखिम मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। डेटा को वैज्ञानिक रूप से मान्यता प्राप्त विधियों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए और डेटा की समीक्षा ठोस वैज्ञानिक सिद्धांतों और विधियों के अनुरूप की जानी चाहिए।

vii. अनुलग्नक– III: इसमें कीटनाशक और औद्योगिक रसायन शामिल हैं जिन्हें दो या अधिक पक्षों द्वारा स्वास्थ्य या पर्यावरणीय कारणों से प्रतिबंधित या गंभीर रूप से प्रतिबंधित किया गया है और जिनको पक्षकारों के सम्मेलन ने पीआईसी प्रक्रिया के अधीन करने का निर्णय लिया गया है।

viii. इसमें कुल 55 रसायन, 36 कीटनाशक (3 गंभीर रूप से खतरनाक कीटनाशक सूत्रीकरण (एसएचपीएफ) सहित), 18 औद्योगिक रसायन, तथा कीटनाशक और औद्योगिक रसायन दोनों श्रेणियों में 1 रसायन सूचीबद्ध हैं।

ix. अनुलग्नक–IVः अभिसमय के इस अनुलग्नक में एसएचपीएफ को अनुलग्नक iii में सूचीबद्ध करने के लिए सूचना और मानदंड निर्धारित किए गए हैं तथा अतिरिक्त सूचना, उदाहरण के लिए, जहां उपलब्ध हो, जोखिम औरध्या खतरा मूल्यांकन, मांगी गई है।

## 5.2 (ख)सूचना का आदान–प्रदान

i. यह अभिसमय संभावित खतरनाक रसायनों की एक बहुत व्यापक श्रृंखला के संबंध में पक्षों के बीच सूचना के आदान–प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।

ii. इस अभिसमय के अनुसार प्रत्येक पक्ष को किसी रसायन पर प्रतिबंध लगाने या उसे गंभीर रूप से प्रतिबंधित करने के लिए घरेलू विनियामक कार्रवाई करते समय सचिवालय को सूचित करना आवश्यक है।

iii. जब किसी पक्ष द्वारा प्रतिबंधित या गंभीर रूप से प्रतिबंधित किसी रसायन का उसके क्षेत्र से निर्यात किया जाता है, तो उस पक्ष को प्रत्येक आयातक पक्ष को प्रथम शिपमेंट से पहले तथा उसके बाद प्रत्येक वर्ष इसकी सूचना देनी होगी।

iv. प्रतिबंधित या गंभीर रूप से प्रतिबंधित रसायनों के निर्यात के साथ–साथ पीआईसी प्रक्रिया के अधीन रसायनों को उचित रूप से लेबल किया जाना चाहिए तथा उनके साथ सुरक्षा डाटा शीट के रूप में मूलभूत स्वास्थ्य और सुरक्षा जानकारी संलग्न की जानी चाहिए।

### 5.3 पक्षकार और उनके नामित राष्ट्रीय प्राधिकारी (डीएनए)

पक्षकार वे देश या क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन हैं जिन्होंने अभिसमय की पुष्टि की है, उसे स्वीकार किया है, अनुमोदन किया है या उसमें शामिल हुए हैं। प्रत्येक पक्षकार को एक या अधिक राष्ट्रीय प्राधिकरणों को नामित करना चाहिए, जो अभिसमय के संचालन से संबंधित मामलों के लिए प्राथमिक संपर्क बिंदु हैं और अभिसमय द्वारा अपेक्षित प्रशासनिक कार्य करने के लिए अधिकृत हैं।

**5.4** डीएनए अन्य पक्षों और सचिवालय के लिए अभिसमय से संबंधित मामलों के लिए प्रमुख संपर्क बिंदु भी हैं।

**भारत से डीएनए**

| | | |
|---|---|---|
| औद्योगिक रसायन | श्री दीपांकर एरन,<br>संयुक्त सचिव (रसायन),<br>रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग,<br>रसायन और उर्वरक मंत्रालय,<br>कमरा नं. 340-सी, 'ए' विंग,<br>शास्त्री भवन-110001,<br>नई दिल्ली | jschem-cpc@gov.in |

### 5.5 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी) की भूमिका

i. रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी) केवल हस्ताक्षरित संस्करण पर ही कार्रवाई करेगा, जिसमें स्पष्ट सहमति के लिए प्रश्नावली संलग्न हो, न कि, डीएनए (नामित राष्ट्रीय प्राधिकरण) के हस्ताक्षर के बिना प्रारंभिक संस्करण पर।

ii. अधिसूचना में, जहां प्रस्तावित रसायन रोटरडैम अभिसमय के अनुलग्नक–प्प्प के अंतर्गत आता है और अधिसूचना की धारा 6.2 में रसायन को श्कीटनाशकश और श्औद्योगिक रसायनश दोनों या केवल औद्योगिक रसायन के रूप में चिह्नित किया गया है, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग संगत दस्तावेजों की मांग करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयात किए जा रहे रसायनों का उपयोग उनकी अधिसूचना की उप धारा 3.3 में उल्लिखित उद्देश्य के लिए ही किया जा रहा है।

iii. जिन अधिसूचनाओं में उल्लिखित रसायन अनुलग्नक–III में सूचीबद्ध नहीं हैं, उनके लिए रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने ईसीएचए (यूरोपीय रासायनिक एजेंसी) को सूचित किया है कि विभाग केवल उन्हीं रसायनों को स्वीकार करता है जो रॉटरडैम अभिसमय की पीआईसी प्रक्रिया के अनुलग्नक–III में सूचीबद्ध हैं।

iv. रॉटरडैम अभिसमय के पक्षकारों का पारस्परिक सम्मेलन हर दो साल में अभिसमय के कार्यान्वयन की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह अभिसमय और उसके अनुलग्नकों में संशोधनों पर विचार करता है और आवश्यकतानुसार उन्हें अपनाता है, जैसे  रासायनिक समीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत नए रसायनों को सूचीबद्ध करना। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग समय–समय पर आयोजित होने वाली इन सीओपी बैठकों में भाग लेता है।

### 5.6 स्टॉकहोम अभिसमय

i. स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, जिस पर 22 मई 2001 को स्टॉकहोम में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 17 मई, 2004 से प्रभावी है। इसका उद्देश्य स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपी) के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करना या प्रतिबंधित करना है।

ii. स्टॉकहोम अभिसमय का उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थाई कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपी) के प्रभावों से बचाना है।

iii. भारत सरकार ने 13 जनवरी, 2006 को अनुच्छेद 25(4) के अनुसार स्टॉकहोम अभिसमय का समर्थन किया था।

iv. पक्षकारों को अनुलग्नक–क के अंतर्गत सूचीबद्ध रसायनों के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करने के लिए उपाय करने होंगे। अनुलग्नक–क में विशिष्ट छूट उपलब्ध हैं और ये केवल उन पक्षकारों पर लागू होती हैं जिन्होंने उनके लिए पंजीकरण कराया है।

**अनुलग्नक क की सूची (उन्मूलन)**

| | |
|---|---|
| 1. | एल्ड्रिन |
| 2. | क्लोरडेन |
| 3. | क्लोरडेकोन |
| 4. | डेकाब्रोमोडिफेनिल ईथर (व्यावसायिक मिश्रण, सी–डेकाबीडीई) |
| 5. | डेक्लोरेन प्लस |
| 6. | डिकोफोल |
| 7. | डाइलड्रिन |
| 8. | एन्ड्रिन |
| 9. | हेप्टाक्लोर |
| 10. | हेक्साब्रोमोबाइफिनाइल |
| 11. | हेक्साब्रोमोसाइक्लोडोडेकेन (एचबीसीडी) |
| 12. | हेक्साब्रोमोडाइफेनिल ईथर और हेप्टाब्रोमोडाइफेनिल ईथर |
| 13. | हेक्साक्लोरोबेंजीन (एचसीबी) |
| 14. | हेक्साक्लोरोब्यूटाडीन |
| 15. | अल्फा हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन |
| 16. | बीटा हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन |
| 17. | लिंडेन |
| 18. | मेथॉक्सीक्लोर |
| 19. | मिरेक्स |
| 20. | पेंटाक्लोरोबेंजीन |

| | |
|---|---|
| 21. | पेंटाक्लोरोफेनॉल और इसके सॉल्ट और एस्टर |
| 22. | पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स (पीसीबी) |
| 23. | पॉलीक्लोरीनेटेड नेफथलीन |
| 24. | परफ्लुओरोऑक्टेनोइक एसिड (पीएफओए), इसके सॉल्ट और पीएफओए–संबंधित यौगिक |
| 25. | परफ्लुओरोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड (पीएफएचएक्सएस), इसके सॉल्ट और पीएफएचएक्सएस–संबंधित यौगिक |
| 26. | लघु–श्रृंखला क्लोरीनयुक्त पैराफिन (एससीसीपी) |
| 27. | तकनीकी एंडोसल्फान और इसके संबंधित आइसोमर्स |
| 28. | टेट्राब्रोमोडाइफेनिल ईथर और पेंटाब्रोमोडाइफेनिल ईथर |
| 29. | टोक्साफीन |
| 30. | यूवी–328 |

### 5.7 अनुलग्नक ख (प्रतिबंध)

पक्षकारों को अनुलग्नक–ख के अंतर्गत सूचीबद्ध रसायनों के उत्पादन और उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए किसी भी लागू/स्वीकार्य उद्देश्यों औरध्या अनुलग्नक में सूचीबद्ध विशिष्ट छूट के मद्देनजर उपाय करने होंगे।

i. डीडीटी

ii. परफ्लुओरोऑक्टेन सल्फोनिक एसिड (पीएफओएस), इसके सॉल्ट और परफ्लुओरोऑक्टेन सल्फोनिल फ्लोराइड (पीएफओएस)

### 5.8 अनुलग्नक ग (अनजाने में उत्पादन)

पक्षकारों को अनुलग्नक–ग के अंतर्गत सूचीबद्ध रसायनों के अनजाने में होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए उपाय करने होंगे, जिसका लक्ष्य इसे निरंतर न्यूनतम करना तथा जहां संभव हो, वहां इसे अंतिम रूप से समाप्त करना है।

| | |
|---|---|
| I. | हेक्साक्लोरोबेंज़ीन (एचसीबी) |
| II. | हेक्साक्लोरोब्यूटाडीन (एचसीबीडी) |
| III. | पेंटाक्लोरोबेंज़ीन |
| IV. | पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स (पीसीबी) |
| V. | पॉलीक्लोरीनेटेड डाइबेंजो-पी-डाइऑक्सिन (पीसीडीडी) |
| VI. | पॉलीक्लोरीनेटेड डाइबेंजोफ्यूरान (पीसीडीएफ) |
| VII. | पॉलीक्लोरीनेटेड नेफ़थलीन |

*****

अध्याय–6

# भोपाल गैस रिसाव आपदा

**6.1** दिनांक 2/3 दिसंबर, 1984 की मध्य रात्रि में भोपाल में यूनियन कार्बाइड पेस्टीसाइड फैक्ट्री के दो टैंकों में रखी हुई ''मिथाइल आइसोसायनेट'' (एमआईसी) नामक एक घातक गैस के वातावरण में रिसने के परिणामस्वरूप ऐसी भयानक औद्योगिक त्रासदी हुई जो परिमाण में अतुलनीय थी और इसके कारण भोपाल शहर में बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हुए, साथ ही जिसके फलस्वरूप तत्काल हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। दुर्घटना के तत्काल बाद विभिन्न राहत और पुनर्वास उपाय किए गए और ये अभी भी जारी हैं।

## मुआवजे के दावों पर निर्णय

**6.2** क्षतिपूर्ति और नुकसान के लिए भारत के विभिन्न न्यायालयों में बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज किए गए थे, अभियोजन भी शुरू किया गया था। भारत सरकार ने भोपाल गैस रिसाव आपदा (दावों पर कार्रवाई) अधिनियम, 1985 नामक एक अधिनियम बनाया। यह अधिनियम 20 फरवरी, 1985 से प्रवृत्त हुआ। इसने भारत सरकार को गैस त्रासदी से उत्पन्न होने वाले दावों के संबंध में सभी मुकदमों को अपने नियंत्रण में लेने और पीड़ितों और प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का अधिकार दिया। इस अधिनियम के तहत, सरकार ने प्रत्येक दावे के पंजीकरण, प्रसंस्करण और क्षतिपूर्ति के निर्धारण और उससे उत्पन्न होने वाली अपीलों, यदि कोई हों, के लिए एक योजना बनाई जिसे भोपाल गैस रिसाव आपदा (दावों का पंजीकरण और कार्रवाई) योजना, 1985 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत, भारत सरकार द्वारा गैस रिसाव आपदा के पीड़ितों और पीड़ित परिवारों के लिए त्वरित निर्णय लेना और उन्हें मुआवजा देने के लिए कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित स्थापित किया गया था।

**6.3** बीजीएलडी के कारण हुई मानवीय पीड़ा की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 14 और 15 फरवरी, 1989 को सेटलमेंट ऑर्डर पारित किया जिसमें यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन को 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, जिसे कंपनी द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास फरवरी, 1989 में जमा करा दिया गया था।

## मूल मुआवजा

**6.4** मुआवजों का वास्तविक संवितरण वर्ष 1992 में आरंभ हुआ और 31 मार्च, 2024 तक कल्याण आयुक्त कार्यालय ने मृत्यु, स्थायी अपंगता, अस्थायी अपंगता, अत्यंत गंभीर चोटें, कम गंभीर चोटें, सम्पततिध्पीएसयू का नुकसान एवं पशुधन की हानि जैसी श्रेणियों में 5,74,394 दावेदारों को मुआवजे के रूप में 1549.33 करोड़ रुपए बांटेध्वितरित किए।

## यथानुपात मुआवजा

**6.5** सर्वोच्च न्यायालय ने 19 जुलाई, 2004 के आदेश के तहत कल्याण आयुक्त को लगभग 1500 करोड़ रुपए की वह शेष राशि जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास ब्याज संचय और विनिमय दर में विचलन से संग्रहीत हो गई थी, को यथानुपात रूप से (मूल मुआवजा के 1:1 के अनुपात में) उन दावेदारों को संवितरित करने का निर्देश दिया, जिनके मामलों का निपटारा हो चुका था। यथानुपात मुआवजे के संवितरण का कार्य नवंबर, 2004 से शुरू हुआ। 31 मार्च, 2024 तक यथानुपात मुआवजे के रूप में 5,63,144 मामलों में 1517.97 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं। यथानुपात मुआवजे के संवितरण का कार्य जारी है।

## अनुग्रह राशि का संवितरण

**6.6** भोपाल गैस रिसाव आपदा पर गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिशों पर, सरकार ने गैस पीड़ितों को और राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने के लिए वर्ष 2010 में कतिपय निर्णय लिए। सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों में एक महत्वपूर्ण निर्णय गैस पीड़ितों की निम्नलिखित श्रेणियों को अनुग्रह राशि का भुगतान करना था:

| श्रेणी | अनुग्रह राशि का पैमाना |
|---|---|
| मृत्यु | 10 लाख रुपए (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर) |
| स्थायी अपंगता | 5 लाख रुपए (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर) |
| अत्यंत गंभीर चोटें | 5 लाख रुपए (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर) |
| कैंसर | 2 लाख रुपए (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर) |
| पूरी तरह किडनी खराब | 2 लाख रुपए (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर) |
| अस्थायी अपंगता | 1 लाख रुपए (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर) |

**6.7** सरकार द्वारा उपरोक्त श्रेणियों के गैस पीड़ितों के बीच अनुग्रह राशि के संवितरण के लिए 940.50 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। कल्याण आयुक्त कार्यालय ने 19.12.2010 से गैस पीड़ितों को अनुग्रह राशि का भुगतान करना शुरू किया है। 31 मार्च, 2024 तक 64,951 मामलों में निर्णय लिया गया और अवार्डिड मामलों में 892.29 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है।

## भोपाल गैस पीड़ितों का पुनर्वास (कार्य योजना)

**6.8** केन्द्र सरकार द्वारा गैस त्रासदी के पीड़ितों के राहत, पुनर्वास और वित्तीय सहायता के लिए वर्ष 1985 से 1989 तक 102 करोड़ रु. मंजूर किए गए।

**6.9** वर्ष 1990 में, भारत सरकार ने भोपाल गैस पीड़ितों के चिकित्सीय, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय पुनर्वास के लिए 163.10 करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय के साथ मध्य प्रदेश राज्य सरकार की एक 5 वर्षीय कार्य योजना को अनुमोदित किया। इस परिव्यय को बाद में बढ़ाकर 258 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस कार्ययोजना को भारत सरकार और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में साझा किए जाने और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कार्यानवित किए जाने का निर्णय लिया गया था। कार्य योजना को 1990 से 1999 तक कार्यानवित किया गया। इसमें इस अनुमोदित योजना के विरूद्ध गैस पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए अवसंरचना का निर्माण शामिल था। इस अनुमोदित योजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 1229.37 करोड़ रु. की राशि खर्च की। कार्य योजना का प्रमुख घटक चिकित्सीय पुनर्वास था जिसमें गैस पीड़ितों के निःशुल्क इलाज के लिए संसाधनों से लैस 6 पूर्ण गैस राहत अस्पतालों तथा डिस्पेन्सरियों की स्थापना करना शामिल था।

**6.10** इसके अलावा, यूसीआईएल संयत्र स्थल के आसपास के 14 इलाकों में, जहां का भूजल पीने योग्य नहीं है, पाइपलाइन द्वारा पेयजल की आपूर्ति के लिए अप्रैल, 2006 में भारत सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत 14.18 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे।

**6.11** मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल गैस पीडितों के लिए किए जाने वाले विभिन्न पुनर्वास उपायों के लिए 982.75 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली एक नई कार्य योजना पर एक नया ज्ञापन मंत्री समूह (जीओएम) को अप्रैल, 2008 में प्रस्तुत किया था। केंद्र सरकार ने मंत्री समूह की सिफारिशों के आधार पर नई कार्य योजना, 2010 के क्रियान्वयन

के लिए 75:25 के अनुपात में केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के बीच हिस्सेदारी के रूप में 272.75 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की थी। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा 08.07.2010 को मध्य प्रदेश सरकार को राज्य की वार्षिक योजना 2010–11 हेतु अन्य परियोजनाओं (अनुदान घटक) के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) के 'लेखागत भुगतान' के रूप में 272.75 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

**6.12** मध्य प्रदेश सरकार नई कार्य योजना, 2010 के अंतर्गत अनुमोदित विभिन्न पुनर्वास योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है।

**पूर्ववर्ती यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) संयंत्र स्थल का पर्यावरणीय उपचारण**

**6.13** 2/3 दिसंबर, 1984 की रात को एक औद्योगिक आपदा घटित हुई जब भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) की कीटनाशक इकाई के दो टैंकों में संग्रहित एक घातक गैस मिथाइल आइसो–साइनेट (एमआईसी) का वातावरण में रिसाव हो गया जिसके कारण हजारों मौतें हुई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए।

**6.14** भोपाल गैस रिसाव त्रासदी से संबंधित सभी मुद्दों की जांच के लिए गठित तत्कालीन मंत्री समूह (जीओएम) की 18 से 21 जुन, 2010 तक हुई बैठकों में भोपाल में तात्कालिक यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) कारखाने के परिसर में पड़े 347 मीट्रिक टन (लगभग) खतरनाक कचरे के उपचार और निपटान सहित सभी पहलुओं पर व्यापक सिफारिशें की गईं।

**6.15** वर्ष 2010 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार यूसीआईएल के भोपाल सथित तत्कालीन संयंत्र के खतरनाक कचरे के निपटान और उपचार के लिए उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने में मध्य प्रदेश सरकार को मॉनीटरिंग और सहयोग प्रदान करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में एक निगरानी समिति का गठन किया गया था। 2012 की भारत सरकार बनाम आलोक प्रताप सिंह और अन्य की एसएलपी (सिविल) संख्या 9874 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा 13–18 अगस्त, 2015 के दौरान मध्य प्रदेश के पीथमपुर में खतरनाक अपशिष्ट भस्मक में 10 मीट्रिक टन तत्कालीन यूसीआईएल के कचरे को सफलतापूर्वक जलाया गया था।

**6.16** माननीय मंत्री (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन) की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति द्वारा यूसीआईएल फैक्ट्री साइट पर पड़े शेष 337 मीट्रिक टन (लगभग) खतरनाक कचरे के निपटान के प्रस्ताव पर विचार किया गया। निगरानी समिति के निर्देशानुसार, व्यय विभाग, भारत सरकार से जहरीले कचरे के निपटान कार्य को शुरू करने के लिए धनराशि जारी करने का अनुरोध किया गया है। इसके लिए 126 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इसके बाद, राहत और पुनर्वास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यूसीआईएल फैक्ट्री साइट पर पड़े 337 मीट्रिक टन (लगभग) खतरनाक कचरे को 01.01.2025 को मध्य प्रदेश के पीथमपुर में सामान्य खतरनाक अपशिष्ट भस्मक में ले जाया गया।

**उपचारात्मक याचिका की स्थिति**

**6.17** कैबिनेट के निर्देश पर, न्यायालय के 1989 के पहले के फैसले की समीक्षा की मांग करते हुए जिसमें मुआवजे की राशि को 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर तय किया गया था, यूसीसी औरध्या उसकी उत्तराधिकारी कंपनियों से बढ़े हुए मुआवजे का दावा करते हुए दिसंबर 2010 में भारत सरकार बनाम यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी), यूएसए, डॉ केमिकल्स, यूएसए और अन्य के नाम से एक उपचारात्मक याचिका संख्या 345–347 दायर की गई

थी। उपचारात्मक याचिका में जिस मुआवजे का दावा किया गया गया है, वह 1989 में निपटान के आदेश पारित करते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमानित मामलों की संख्या और कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल द्वारा दिए अवार्ड किए गए मामलों की वास्तविक संख्या के बीच अंतर के कारण है। याचिका में पीड़ितों के लिए विभिन्न पुनर्वास उपायों के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति और पर्यावरण में सुधार के लिए आवश्यक राशि का भी दावा किया गया है। यह याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है।

*****

अध्याय–7

# रसायन एवं पेट्रोरसायन एवं व्यापार आसूचना की गुणवत्ता में सुधार करना

**रसायनों और पेट्रोरसायनों के लिए अनिवार्य बीआईएस मानक:**

**7.1** घरेलू रूप से उत्पादित और आयातित रसायन एवं पेट्रोरसायन में अशुद्धियां हो सकती हैं और ये मानव स्वास्थ्य सुरक्षा, एवं पर्यावरण के लिए खतरनाक हो सकतें हैं। प्रयोग में लाए जाने पर ये उत्पाद बीआईएस मानकों में विहित उन तकनीकी विशेषताओं को पूरा नहीं करते हों जो वर्तमान में अधिकांश उत्पादों के लिए स्वैच्छिक प्रकृति की हैं। इसलिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि देश में उत्पादित रसायनोंध्पेट्रोरसायनों की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ–साथ आयातित रसायनों की भी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। इस उद्देश्य के साथ, विभाग ने रसायनों/पेट्रोरसायनों के मानकों को अनिवार्य बनाने का काम शुरू किया है, ताकि, यह सुनिश्चित हो सके कि देश में ऐसे रसायनों/पेट्रोरसायनों के आयातक और घरेलू विनिर्माता, दोनों ही बीआईएस गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करें। ऐसे रसायन/पेट्रोरसायन भारतीय मानक ब्यूरो से प्राप्त किए जाने वाले लाइसेंस के तहत मानक चिन्ह धारण करेंगे। इस तंत्र से इन उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी, क्योंकि, कुछ देश निम्न गुणवत्ता वाले और खराब रसायन/पेट्रोरसायन देश में खपा सकते हैं, जो वर्तमान में बीआईएस मानकों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

**7.2** अतः विभाग ने निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 16 के तहत लोक हित में प्रमुख रसायनों एवं पेट्रोरसायनों के लिए मानकों को अनिवार्य बनाने के लिए कदम उठाएं हैं:

(i) मानव, पशु या पादप स्वास्थ्य की सुरक्षा

(ii) पर्यावरण की रक्षा, या

(iii) अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम, या

(iv) राष्ट्रीय सुरक्षा

**7.3** इन उपायों के कारण विनिर्माताओं और आयातकों को बीआईएस (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 का पालन करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति जो इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 29 के प्रावधानों के अधीन दंडनीय होगा। अनिवार्य मानकों के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त रसायनों के विनिर्माता बीआईएस मानकों के अनुरूप होंगे और बीआईएस से प्राप्त लाइसेंस के तहत मानक चिन्ह धारण करेंगे। इसमें ऐसी कोई भी आयातित सामग्री शामिल है, जिसके लिए विदेश में रहने वाले निर्यातक को विदेशी विनिर्माता प्रमाणन स्कीम (एफएमसीएस) के तहत बीआईएस लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है।

**7.4** वे विभिन्न रसायन और पेट्रोरसायन जिनके लिए विभाग द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किए गए हैं, की सूची अनुलग्लक V पर है:

*****

अध्याय–8

# सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

## हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल)

**8.1** हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) को रसायनों/इंटरमीडिएट्स के लिए ऐसी विनिर्माण क्षमताएं स्थापित करने के लिए सरकारी कंपनी के रूप में 12 दिसम्बर, 1960 को अधिनिगमित किया गया था, जिनकी आवश्यकता डाई, डाई–इंटरमीडिएट्स, रबर रसायनों, कीटनाशकों, औषधों और फार्मास्यूटिकल्स लेमिनेट्स आदि के उत्पादन में होती है। कंपनी की रसायनी (महाराष्ट्र) और कोच्चि (केरल) स्थित दो विनिर्माण इकाइयां थीं। रसायनी यूनिट (रसायन परिसर) ने वर्ष 1970–71 से उत्पादन शुरू किया था और कोच्चि यूनिट (फिनॉल कॉम्प्लेक्स) ने वर्ष 1987–88 से उत्पादन करना प्रारंभ किया था। कोच्चि यूनिट में फिनाल, एसीटोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विनिर्माण करने वाले संयंत्र हैं। एचओसीएल के लिए भारत सरकार द्वारा 17.05.2017 को अनुमोदित एक पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन के बाद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कनसनट्रेटिड नाइट्रिक एसिड (सीएनए)ध्डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड (N2O4) संयंत्र जिसे अंतरिक्ष विभागध्इसरो को हस्तांतरित कर दिया गया है, को छोड़कर रसायनी यूनिट को बंद कर दिया गया है। एचओसीएल की एक सहायक कंपनी, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल), रुद्रराम, तेलंगाना में स्थित है, जिससे संबंधित ब्यौरा इस अध्याय में आगे दिया गया है।

**8.2** एचओसीएल की प्राधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 370 करोड़ रुपए और 337.27 करोड़ रुपए (जिसमें 67.27 करोड़ रुपए की इक्विटी और 270 करोड़ रुपए के वरीयता शेयर शामिल हैं) हैं। भारत सरकार के पास कंपनी की 58.78ः इक्विटी और सारे वरीयता शेयर हैं। एचओसीएल बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध है।

**8.3** 1990 के शुरू में वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के कारण, वर्ष 1997–98 में पहली बार एचओसीएल को घाटा हुआ। लगातार घाटा होने के कारण वर्ष 2003–04 तक कंपनी का नेट वर्थ नकारात्मक हो गया और उसे फरवरी, 2005 में पूर्ववर्ती औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को रेफर कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 2006 को कंपनी के लिए एक पुनरूद्धार पैकेज अनुमोदित किया।

**8.4** तथापि, वैश्विक मंदी के प्रभाव के परिणामस्वरूप, बाजार में मुख्य रूप से मंदी का रुख कायम रहने के कारण, वर्ष 2008–09 और वर्ष 2009–10 में कंपनी को पुनरू घाटा हुआ। हालांकि वर्ष 2010–11 के दौरान इसने लाभ अर्जित किया, किंतु इसके बाद और इसके मुख्य उत्पादों, फिनॉल और एसीटोन पर एंटी–डंपिंग शुल्क को वापस लिए जाने के परिणामस्वरूप 2011–12 और 2012–13 के दौरान हुए घाटे के साथ स्थिति पहले की अपेक्षा और अधिक खराब हो गई। सरकार ने कंपनी को लिक्विडिटी संबंधी समस्याओं से उबरने में सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार को जारी किए गए 270 करोड़ रुपए के वरीयता शेयरों के रीडेम्पशन के स्थगन को 1 अगस्त, 2013 को मंजूरी दी (आवंटन तारीख 24.01.2008) जो वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 तक रीडेम्पशन के लिए देय था। 100 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी को भी अगस्त, 2017 तक आगे बढ़ा दिया गया।

**8.5** इसके अलावा, जुलाई 2014 में एचओसीएल को कंपनी द्वारा अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने और कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारी बकाया आदि के प्रति देनदारियों के भुगतान के लिए बांड जारी करने हेतु 150 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी प्रदान की गई थी। इसने कंपनी को अपनी कोच्चि और रसायनी इकाइयों में विनिर्माण परिचालन बहाल करने में सक्षम किया। हालांकि, उस समय पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वैश्विक गिरावट से फिनोल और एसीटोन की कीमतों में भारी गिरावट आई और कंपनी को लाभदायक दरों पर उत्पादों को बेचने और पर्याप्त कार्यशील पूंजी उत्पन्न करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इससे कोच्चि और रसायनी दोनों इकाइयों में परिचालन बार–बार बंद हुआ, जिससे एचओसीएल का वित्तीय संकट और बढ़ गया। लगातार घाटे और कार्यशील पूंजी की कमी के कारण, कंपनी 2015 से 2017 के दौरान कर्मचारियों को नियमित वेतन और वैधानिक बकाया का भुगतान करने में सक्षम नहीं थी। कोच्चि इकाई में फिनोल/एसीटोन संयंत्र में जुलाई, 2017 से प्रचालन फिर से शुरू किया गया और तब से नियमित रूप से प्रचालित किया जा रहा है। एचओसीएल कोच्चि इकाई को वर्ष 2020 और 2021 के लिए बड़े रासायनिक उद्योग श्रेणी में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कोच्चि से सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त हुआ।

## वित्तीय प्रदर्शन

**8.6** गत 5 वर्षों के लिए कारोबार और शुद्ध लाभ/हानि के संबध में एचओसीएल का वित्तीय प्रदर्शन और 31.03.2024 को नेटवर्थ निम्नानुसार हैः

(करोड़ रुपए में)

| वर्ष | कारोबार | शुद्ध लाभ/(हानि) |
|---|---|---|
| 2019-20 | 300.01 | (94.75) * |
| 2020-21 | 411.57 | (15.97) * |
| 2021-22 | 433.67 | (26.19) * |
| 2022-23 | 631.44 | (50.22) |
| 2023-24 | 703.89 | (55.32) |
| 31.03.2024 को नेट वर्थ (नए आईएनडी एएस लेखा पद्धति के अनुसार जिसमें भूमि और अन्य परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन शामिल है): **11.19 करोड़ रु.**<br>31.03.2024 को कंपनी अधिनियम के अनुसार नेटवर्थ (भूमि और अन्य परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन को छोड़कर): **(-)964.34 करोड़ रु.** | | |

** आईएनडी एएस के अनुसार री-स्टेटिड*

उत्पादन विवरण

**(मात्रा मीट्रिक टन में)**

| उत्पाद | वार्षिक क्षमता | 2022-23 | 2023-24 | % वृद्धि |
|---|---|---|---|---|
| फिनोल | 40,000 | 37,350 | 47,518 | 27.22 |
| एसीटोन | 24,600 | 23,306 | 29,613 | 27.06 |
| हाइड्रोजन पेरोक्साइड | 10,450 | 10,323 | 10,579 | 2.48 |

## एचओसीएल के लिए पुनर्गठन योजना

**8.7** भारत सरकार ने 17.05.2017 को एचओसीएल के लिए एक पुनर्गठन योजना को मंजूरी दी, जिसमें N2O4 संयंत्र को छोड़कर, जिसे संयंत्र के साथ संबद्ध कर्मचारियों तथा लगभग 20 एकड़ जमीन के साथ 'जैसा है, जहां है' के आधार पर इसरो को हस्तांतरित करने समेत एचओसीएल की रसायनी इकाई के सभी अलाभकारी संयंत्रों के कार्य प्रचालन को बंद किया जाना शामिल है। पुनर्गठन योजना में 1008.67 करोड़ रु. (नकद) का वित्तीय निहितार्थ है, जिसे आंशिक रूप से रसायनी स्थित एचओसीएल की 442 एकड़ भूमि को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (618.80 करोड़ रुपये) को बेचकर और शेष राशि को भारत सरकार से ब्रिज लोन के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इन निधियों का उपयोग कंपनी की विभिन्न देनदारियों जिनमें कर्मचारियों के बकाए वेतन और वैधानिक देय राशि के भुगतान तथा 250 करोड़ रुपये के सरकार की गारंटी वाले बांडों का भुगतान और रसायनी यूनिट में स्केलेटल कर्मचारियों के रूप में रखे गए लोगों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस देना शामिल है, पर किया जाएगा। रसायनी इकाई की शेष अभारग्रस्त भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों को बेचकर कंपनी की अन्य सरकारी देनदारियों के साथ–साथ ब्रिज लोन की राशि का सरकार को भुगतान किया जाना है।

**8.8** पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन के बाद, कोच्चि इकाई में फिनॉल/एसीटोन संयंत्र का नियमित प्रचालन जुलाई, 2017 से फिर शुरू हो गया। इससे एचओसीएल कोच्चि इकाई वर्ष 2018–19 के दौरान 472 करोड़ रु. (2017–18 में 223 करोड़ रुपये) का शुद्ध कारोबार करने और लगभग 22 करोड़ रु. (2017–18 में 65.24 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि) का शुद्ध लाभ कमाने में सक्षम हुई है। एचओसीएल ने 2019–20 के दौरान भारत सरकार के बकाया 26.85 करोड़ रु. (मूल), 2020–21 के दौरान 15.56 करोड़ रुपये और 2021–22 के दौरान 14.04 करोड़ रुपये के ऋण का पुनर्भुगतान कर दिया है। इसके अलावा, सरकार को देय 1351.38 करोड़ रुपये को माफ करने का प्रस्ताव लोक उद्यम विभाग (डीपीई) को प्रस्तुत किया गया। दिनांक 02.12.2024 के पत्र के माध्यम से, डीपीई ने बताया कि माननीय वित्त मंत्री ने भारत सरकार के उपरोक्त बकाया को माफ करने और 30.09.2024 तक उस पर ब्याज को फ्रीज करने के लिए मंजूरी दे दी है।

एचओसीएल की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले किसाना/ग्रामीणों को राशि का भुगतान करने तथा फैले हुए घरों को दूसरी जगह बसाने के लिए भुगतान का प्रस्ताव एचओसीएल बोर्ड की 28 जनवरी, 2022 को हुई बैठक में रखा गया था। बोर्ड ने विस्तृत चर्चा के बाद भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत करने के प्रस्ताव की सिफारिश की। हालाँकि, बाद की बोर्ड बैठक में कार्यवृत्त की पुष्टि नहीं की गई क्योंकि रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के सचिव ने एचओसीएल को एमआईडीसी और एनबीसीसी के माध्यम से भूमि को बेचने जैसे अन्य दूसरे विकल्पों का अध्ययन करने का निर्देश दिया था। एनबीसीसी और एमआईडीसी ने सूचित किया कि अतिक्रमण के चलते उनकी भूमि की बिक्री करने में रुचि नहीं है।

## हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड (एचएफएल)

**8.9** हिन्दुस्तान फ्लोराकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल), हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि. (एचओसीएल) की एक सहायक कंपनी है, जिसे दिनांक 14.07.1983 को अधिनिगमित किया गया था। यह रुद्रराम, तेलंगाना में स्थित है। कंपनी ने वर्ष 1987 में उत्पादन शुरू किया और यह पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन (पीटीएफई) और क्लोरो डाइ फ्लोरो मीथेन (सीएफएम–22) के उत्पादन का कार्य कर रही है। पीटीएफई का उपयोग बड़े पैमाने पर रासायनिक, यांत्रिक, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है और रक्षा एवं एयरोस्पेस क्षेत्रों में इसका सामरिक उपयोग किया जाता है। सीएफएम–22 को सीधे प्रशीतन गैस के रूप में बेचा जाता है और पीटीएफई के उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के रूप में भी उपयोग किया जाता है।

**8.10** एचएफएल की अधिकृत एवं प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 21 करोड़ रुपये और 19.61 करोड़ रुपये है। एचओसीएल (प्रमोटर कंपनी) के पास कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी का 56.43% हिस्सा है और शेष हिस्सा जनता (39.13%) और आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (4.44%) के पास है। एचएफएल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध है।

**8.11** एचएफएल को वर्ष 1987–88 में कार्य प्रारंभ करने के समय से ही घाटा होने लगा, जिसके परिणामस्वरूप इसके नेट वर्थ में गिरावट आ गई और वर्ष 1994 में इसे पूर्ववर्ती औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को रेफर किया गया। बीआईएफआर द्वारा दिनांक 03.12.2007 को एचएफएल के लिए प्रचालन एजेंसी, मैं. आईडीबीआई के अधीन एक पुनरूद्धार पैकेज की मंजूरी दी गई। इस पुनरूद्धार पैकेज की कुल लागत 19.28 करोड़ रुपये थी और इसमें किसी भी सरकारी निधि को दिया जाना शामिल नहीं था। पुनरूद्धार पैकेज के कार्यान्वयन के पश्चात एचएफएल ने वर्ष 2007–08 से 2012–13 तक आंशिक लाभ हासिल किया। तथापि, कंपनी बीआईएफआर से बाहर नहीं आई क्योंकि इसका नेट वर्थ नकारात्मक रहा। एचएफएल को मुख्य रूप से वर्ष 1997 और 2007 के वेतन संशोधन संबंधी बकाया राशि का प्रावधान करने और उत्पादों की बिक्री में कमी आने के कारण, वर्ष 2013–14 में पुनरू 24.82 करोड़ रुपये की हानि हुई। उसके बाद मुख्य रूप से उत्पादों की बिक्री में कमी के कारण कंपनी के घाटे में रहने का सिलसिला जारी है। 2007 के पुनरूद्धार पैकेज के बावजूद कंपनी का नेट वर्थ नकारात्मक रहा है।

## वित्तीय प्रदर्शन

**8.12** गत पांच वर्षों के लिए कारोबार और शुद्ध लाभ/हानि के संबध में एचएफएल का वित्तीय प्रदर्शन और 31.03. 2024 को नेटवर्थ निम्नानुसार हैः

**(करोड़ रुपये में)**

| वर्ष | कारोबार (शुद्ध) | शुद्ध लाभ (हानि) |
|---|---|---|
| 2019-20 | 31.32 | (3.63) |
| 2020-21 | 3.67 | (24.83)* |
| 2021-22 | 0.00 | (6.13) |
| 2022-23 | 0.00 | (5.11) |
| **2023-24** | **0.00** | **1.23** |

*31.3.2024 को (नेट वर्थ) (आईएनडी एएस) के अनुसार, जिसमें भूमि एवं अन्य परिसंपततियों का पुनर्मूल्यांकन शामिल है): (82.87) करोड़ रुपए है*

*(*इस राशि में वर्ष के दौरान वीआरएस व्यय के लिए 18.05 करोड़ रुपये की राशि शामिल है))*

**8.13** वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी की कोई बिक्री नहीं हुई क्योंकि विनिर्माण गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। कंपनी को बंद करने के लिए सीसीईए के दिनांक 22.01.2020 के निर्णय, जिसके बारे में नीचे दिए गए पैरा में बताया गया है, के अनुसार संयंत्र/यूनिट को बंद करने के कारण टर्नओवर कम हुआ और घाटे में वृद्धि हुई।

## एचएफएल को बंद किया जाना

**8.14** एचएफएल पूर्व में सीएफएम–22ध्एचसीएफसी–22 का विनिर्माण कर रही थी और इसके अधिकतर भाग को प्रशीतक गैस के रूप में सीधे बेच देती थी क्योंकि अलाभकर संयंत्र क्षमता और पुरानी प्रौद्योगिकी के कारण कंपनी के लिए इसे पीटीएफई में बदलना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए केवल 283 एमटी एचसीएफसी–22 उत्पादन कोटा आवंटित किया गया था। 2020 में घटे हुए एचसीएफसी–22 कोटे के साथ, एचएफएल के लिए प्रचालन असंधारणीय बन गए हैं और कंपनी अप्रैल–मई 2020 के बाद संयंत्र को बंद करने के लिए मजबूर हो गई।

**8.15** कमजोर वित्तीय सथिति और एचएफएल के मौजूदा गैर–लाभप्रद प्रचालनों कों देखते हुए सीसीईए ने 22.01.2020 को अपनी बैठक में एचएफएल के संयंत्रध्यूनिट के प्रचालन को बंद करने और कंपनी बंद करने को मंजूरी दे दी।

**8.16** मई, 2020 में वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत भारतीय आकस्मिकता निधि (सीएफआई) से अग्रिम के रूप में 73.70 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण और मार्च 2022 में एचएफएल को तत्काल बंद करने से संबंधित देनदारियों के निपटान के लिए 2.17 करोड़ रुपये प्राप्त होने के बाद, कंपनी के प्रचालन बंद करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई। 30.09.2022 तक, स्केलेटल स्टाफ के रूप में रखे गए 5 कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारियों को वीआरएसध्वीएसएस पर कार्यमुक्त कर दिया गया है या वे अपने टर्मिनल और बकाया देय राशि का भुगतान करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं। प्राप्त निर्देशों के अनुसार 5 नियमित कर्मचारियों को 3 सितंबर, 2022 से एचओसीएल की रोल पर स्थानांतरित कर दिया गया है और गैर–नियमित कर्मचारियों को 23 सितंबर, 2022 को वीएसएस मुआवजा देकर कार्यमुक्त कर दिया गया है।

**8.17** एचएफएल वर्तमान में प्रतिभूतियों की डीलिस्टिंग की प्रक्रिया में है। एचएफएल ने सेबी को इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग विनियमन 2021 के विनियमन 35 (1) (ए) और (बी) और 35 (2) (डी) के प्रवर्तन से छूट की मांग करते हुए आवेदन किया था। सेबी ने 12.09.2023 के पत्र के माध्यम से छूट को मंजूरी दे दी थी। तदनुसार, एचएफएल बोर्ड ने 9.10.2023 को आयोजित अपनी बैठक में एचएफएल की प्रस्तावित डीलिस्टिंग और मर्चेंट बैंकर (ऑफर के लिए प्रबंधक) के लिए एंड–टू–एंड सहायता प्रदान करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति के लिए जारी की जाने वाली निविदा को मंजूरी दे दी है।

## हिल (इंडिया) लिमिटेड

**8.18** एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड, जिसे पहले हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसई) है। इसे भारत सरकार के मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए डीडीटी की आपूर्ति करने के लिए 1954 में स्थापित किया गया था, डीडीटी ने मलेरिया और कालाजार के उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समय के साथ, एचआईएल ने कृषि रसायन, बीज और उर्वरकों विविधिकरण किया, और महाराष्ट्र के रसायनी में अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा के साथ प्रमुख कृषि–इनपुटों का व्यापक प्रदाता बन गया।

**8.19** एचआईएल पांच क्षेत्रीय बिक्री कार्यालयों, 15 राज्य कार्यालयों और भारत भर में 1,500 सक्रिय डीलरों की सहायता से एक मजबूत विपणन नेटवर्क के माध्यम से काम करता है, जो अंतिम–मील उत्पाद उपलब्धता सुनिश्चित करता है। इसकी टिड्डी नियंत्रण जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए मैलाथियान सहित जेनेरिक कृषिरसायनों की एक विस्तृत श्रृंखला के विनिर्माण में विशेषज्ञता है। इसकी रसायनी इकाई कृषिरसायन तकनीकी

और फॉर्मूलेशन का उत्पादन करती है और एचआईएल ब्रांड के तहत उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए मूल्यवान फॉर्मूलेटर के साथ सहयोग करती है। इसके पोर्टफोलियो में कीटनाशक, शाकनाशीध्खरपतवारनाशक, कवकनाशी और बहुत कुछ शामिल है, इसके रसायनी सुविधा में समर्पित संयंत्र हैं।

| क्र. सं. | रसायनी महाराष्ट्र में एचआईएल के विनिर्माण संयंत्र | प्रति वर्ष संयंत्र क्षमता (एमटी/केएल) |
|---|---|---|
| 1 | **मैलाथियान तकनीकी** | **1000** |
| 2 | **मैलाथियान फॉर्मूलेशन** | **2000** |
| 3 | **क्लोरपायरीफोस तकनीकी** | **600** |
| 4 | **क्लोरपायरीफोस फॉर्मूलेशन** | **3000** |
| 5 | **इमिडाक्लोप्रिड तकनीकी** | **150** |
| 6 | **इमिडाक्लोप्रिड फॉर्मूलेशन** | **750** |
| 7 | **एलएलआईएन मास्टर बैच** | **1200** |
| 8 | **जल में घुलनशील उर्वरक** | **1500** |

**8.20** एकमात्र सीपीएसई है जो 15 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों और लगभग 750 निजी विनिर्माताओं के वर्चस्व वाले अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में पादप संरक्षण रसायनों के विनिर्माण और आपूर्ति में कार्यरत है। मूल्य नियामक के रूप में, एचआईएल यह सुनिश्चित करता है कि कीटनाशकों की कीमतें नियंत्रित रहें, किसानों के हितों की रक्षा हो और कार्टेलाइजेशन और मूल्य वृद्धि को रोका जा सके। किसानों में इसकी मजबूत ब्रांड छवि गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और किफायती मूल्य निर्धारण के कारण बनी है।

**8.21** कृषि रसायनों के अलावा, एचआईएल सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, जो मलेरिया, कालाजार और अन्य वेक्टर जनित बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करता है। कंपनी मैलाथियान 95ः यूएलवी और लंबे समय तक चलने वाले कीटनाशक जाल (एलएलआईएन) सहित प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य उत्पाद बनाती है, जो डीडीटी के प्रभावी विकल्प के रूप में काम करते हैं। मलेरिया के मामलों में कमी और स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत डीडीटी को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की भारत की प्रतिबद्धता के साथ, एचआईएल ने अपने डीडीटी उत्पादन को कम कर दिया है।

**8.22** बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, एचआईएल ने 5 मिलियन जाल की वार्षिक क्षमता वाली एलएलआईएन विनिर्माण इकाई स्थापित की है, जो दिसंबर 2024 तक दोगुनी होकर 10 मिलियन हो जाएगी। ये जाल तीन साल और 20 धुलाई तक प्रभावी हैं। एचआईएल एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) और प्राकृतिक खेती प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए यूएनआईडीओ की सहायता से अपनी रसायनी इकाई में जैव–कीटनाशक संयंत्र भी स्थापित

कर रहा है। ये सुविधाएं दिसंबर 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जैव–लार्वाइसाइड (बीटीआई), नीम–आधारित फॉर्मूलेशन और बीटीके, ट्राइकोडर्मा जैसे जैव–कीटनाशक और कृषि के लिए नीम–आधारित उत्पादों का उत्पादन करेंगी।

**8.23** कृषि मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की बीज उत्पादन एजेंसी (एनएलए) के रूप में, एचआईएल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन जैसे प्रमुख कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह तिलहन, दलहन, बाजरा और अन्य के लिए उच्च उपज देने वाली बीज किस्मों का उत्पादन और वितरण करता है, जिसमें पूरे भारत में, विशेष रूप से पूर्वोत्तर में किसानों के लिए मिनीकिट शामिल हैं।

**8.24** एचआईएल दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जाम्बिया जैसे अफ्रीकी देशों और लैटिन अमेरिका को मलेरिया नियंत्रण के लिए डीडीटी और कृषि रसायन भी निर्यात करता है। इसने हाल ही में अफगानिस्तान को 40 मीट्रिक टन मैलाथियान 95ः तकनीकी का निर्यात किया है और आगे दक्षिण अफ्रीका को डीडीटी के निर्यात की संभावना तलाश रहा है।

**8.25** कंपनी ने 2020–2022 के दौरान भारत में टिड्डियों के प्रकोप से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो ऐसा संकट था जिसे दो दशकों से भी अधिक समय में नहीं देखा गया था। प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटीन निदेशालय के साथ साझेदारी में, एचआईएल ने टिड्डियों पर नियंत्रण के लिए मैलाथियान तकनीकी की आपूर्ति की, जिसकी कृषि मंत्रालय ने प्रशंसा की।

**8.26** अपनी कृषि विस्तार सेवाओं के तहत, एचआईएल इस विभाग के सहयोग से किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। 2023–24 तक, 158 कार्यक्रमों में 57,233 किसानों को कीटनाशकों और आईपीएम प्रथाओं के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग पर प्रशिक्षित किया गया। ये प्रशिक्षित किसान ज्ञान गुणक के रूप में कार्य करते हैं, जिनके पीयर टू पीयर सहकर्मी सीखने के माध्यम से 3–3.5 लाख अतिरिक्त किसानों तक पहुंचने की संभावना है।

**वित्तीय प्रदर्शन**

पिछले 5 वर्षों के लिए हिल (इंडिया) लिमिटेड की लेखापरीक्षित वित्तीय स्थितिरू

| वित्तीय वर्ष | राजस्व | पीबीआईडीटी | पीबीटी | शुद्ध लाभ | (भारतीय करोड़ में रुपये)<br>नेट वर्थ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 404.60 | 26.47 | 4.29 | 3.41 | 100.22 |
| 2018-19 | 456.47 | 29.53 | 4.65 | 3.62 | 103.84 |
| 2019-20 | 401.02 | 28.51 | 0.84 | 0.59 | 104.43 |
| 2020-21 | 387.90 | 29.17 | 1.15 | 1.15 | 105.58 |
| 2021-22 | 353.42 | 34.09 | 2.21 | 2.21 | 107.79 |
| 2022-23 | 199.89 | (37.31) | (68.70) | (68.70) | 39.09 |
| 2023-24 | 195.18 | 23.52 | 4.50 | 4.50 | 43.59 |

**बठिंडा, पंजाब और उद्योगमंडल, केरल इकाइयों को बंद करनाः**

**8.27** हिल (इंडिया) लिमिटेड की दो इकाइयों में से उद्योगमंडल (केरल) और बठिंडा (पंजाब) कई वर्षों से घाटे में चल रही थीं, जिससे उनका प्रचालन पूरी तरह से अव्यवहारिक हो गया था। परिणामस्वरूप, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने वैकल्पिक तंत्र (एएम) के तहत इन इकाइयों को बंद करने की मंजूरी दे दी।

**8.28** 31 मार्च, 2024 तक अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए, डीआईपीएएम ने ₹486.74 करोड़ का नया ऋण स्वीकृत किया और ₹104.25 करोड़ के सरकारी ऋण (योजना) को उस पर बकाया ब्याज सहित माफ करने को मंजूरी दी। व्यय विभाग और आर्थिक कार्य विभाग ने भी इस वित्तीय सहायता का समर्थन किया।

**8.29** स्वीकृत ₹486.74 करोड़ में से, ₹399.18 करोड़ वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 30 मार्च, 2024 को वितरित किए गए। यह राशि हिल (इंडिया) लिमिटेड को 31 मार्च, 2024 तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) भुगतान और जनशक्ति से संबंधित बकाया सहित उद्योगमंडल और बठिंडा इकाइयों के बंद होने से उत्पन्न बैंक बकाया, वैधानिक देनदारियों और अन्य दायित्वों का निपटान करने के लिए आवंटित की गई थी।

अध्याय–9

# स्वायत्त संस्थान

## केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट)

**9.1** केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक केंद्रीय रूप से वित्त पोषित तकनीकी उच्च शिक्षा संस्थान है, जो देश में पेट्रोरसायन और संबद्ध उद्योगों के विकास के लिए कौशल विकास, प्रौद्योगिकी सहायता, शैक्षणिक और अनुसंधान (एसटीएआर) गतिविधियों के लिए पूरी तरह समर्पित है। सिपेट के देश भर में 48 केंद्र हैं, जिनमें 9 पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीटी), 32 कौशल और तकनीकी सहायता केंद्र (सीएसटीएस), 3 स्कूल फॉर एडवांस्ड रिसर्च इन पॉलिमर्स (एसएआरपी), 4 उप–केंद्र और 4 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र (पीडब्ल्यूएमसी) शामिल हैं। सिपेट अयोध्या, बिहटा, साणंद, नासिक और जम्मू और कश्मीर में 05 और केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया में भी है।

### 9.2 शैक्षणिक और कौशल विकास कार्यक्रम

#### क. दीर्घकालिक व्यावसायिक कौशल विकास कार्यक्रम

सिपेट विभिन्न दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (जैसे डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट) संचालित करता है, जिसमें प्रवेश के लिए योग्यता के भिन्न–भिन्न स्तर हैं। साथ ही सिपेट मेटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, पॉलिमर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, भौतिकी और रसायन विज्ञान; पॉलिमर नैनो प्रौद्योगिकी; जैव पॉलिमर विज्ञान; एप्लाइड पॉलिमर साइंस आदि में पीएचडी कार्यक्रम भी संचालित करता है। स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रम सिपेटःआईपीटी में संबंधित राज्य तकनीकी विश्वविद्यालयों के साथ संबद्धता में प्रदान किए जाते हैं। यूजी/पीजी/पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश संबंधित राज्य के संबद्ध विश्वविद्यालय के मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

सिपेटःसीएसटीएस में डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रम पेश किए जाते हैं और इन कार्यक्रमों के लिए छात्रों को अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित सिपेट प्रवेश परीक्षा (कैट) के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है। कैट 2024 का आयोजन 9 जून 2024 को पूरे देश में किया गया था, जिसमें 4818 छात्र शामिल हुए थे। शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिए 31 अक्टूबर, 2024 तक डिप्लोमा स्तर और यूजी और पीजी स्तर के कार्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की कुल संख्या 4507 है जिसमें सीएसटीएस–भुवनेश्वर में आईटीआई कार्यक्रम और लेटरल एंट्री एडमिशन शामिल हैं।

वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2024–25 में, निम्नलिखित नए सिपेट केंद्रों पर दीर्घकालिक कार्यक्रम शुरू हुए:

1. सिपेटः सीएसटीएस, भागलपुर – प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी और प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रम।
2. सिपेटः आईपीटी, बिहटा – केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अपशिष्ट प्रबंधन में डिग्री स्तर के कार्यक्रम।

#### ख. अल्पकालिक व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा कौशल विकास पर तैयार की गई राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य बेहतर कौशल, ज्ञान और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त योग्यताओं से सक्षम कार्यबल तैयार करना है ताकि एक अच्छा रोजगार प्राप्त हो सके और वैश्विक श्रम बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके। तदनुसार, सिपेट पेट्रोरसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एनएसक्यूएफ–संरेखित और राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (एनएसक्यूसी) द्वारा अनुमोदित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसडीटीपी) आयोजित करता है। सिपेट द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की श्रेणी में रोजगार से जुड़े कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम; अप–स्किलिंग और री–स्किलिंग कार्यक्रम; अल्पकालिक उद्योग विशिष्ट कार्यक्रम; उद्योगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम; और विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए इन–प्लांट प्रशिक्षण/इंटर्नशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

इन इल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसडीटीपी)/कौशल उन्नयन कार्यक्रम (एसयूपी) का उद्देश्य पेट्रोरसायन और प्लास्टिक/पॉलिमर्स के संगत क्षेत्रों में प्रतिभागियों के कौशल और क्षमता के स्तर को बढ़ाना है।

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से अधिकांश को विभिन्न मंत्रालयों/राज्य/केंद्र सरकार के विभागों/एजेंसियों द्वारा समर्थित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक और संबद्ध उद्योगों में लाभकारी रोजगार के माध्यम से वंचित/बेरोजगार युवाओं का उत्थान करना है। वर्ष 2024–25 (अक्टूबर, 2024 तक) के दौरान, सिपेट ने विभिन्न अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 25,488 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है।

## 9.3 प्रौद्योगिकी समर्थन सेवाएँ

सिपेट पेट्रोरसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के पूरे स्पेक्ट्रम में प्रौद्योगिकी सहायता सेवाएँ (टीएसएस) प्रदान करता है। टीएसएस सिपेट के पोर्टफोलियो का एक अभिन्न अंग है और मोल्ड और डाई के डिजाइन और निर्माण, टूलींग, प्लास्टिक प्रसंस्करण और परीक्षण, निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्रों में ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएँ प्रदान करके इसकी तकनीकी योग्यता को उजागर करता है। पॉलिमर और संबद्ध उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सिपेट केंद्रों में डिजाइन, सीएडी/सीएएम/सीएई, टूलींग और मोल्ड निर्माण, प्रसंस्करण, परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्रों में अत्याधुनिक अवसंरचनात्मक सुविधाएँ हैं।

वर्ष 2024–25 (अक्टूबर, 2024 तक) के दौरान सिपेट ने पेट्रोरसायन और संबद्ध उद्योगों के लिए प्लास्टिक प्रसंस्करण, डिजाइन और टूलींग, परीक्षण, परामर्श और निरीक्षण गतिविधियों के क्षेत्र में 59,756 प्रौद्योगिकी सहायता सेवा असाइनमेंट (टीएसएस) किए हैं। इनका डोमेन–वार ब्यौरा इस प्रकार है:

| क्रम सं. | डोमेन | अक्टूबर 2024 तक प्राप्त |
|---|---|---|
| 1. | प्रसंस्करण में जॉब ऑर्डर की संख्या | 6198 |
| 2. | टूल रूम में जॉब/मोल्ड ऑर्डर की संख्या | 2329 |
| 3. | परीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन में असाइनमेंट की संख्या | 33186 |
| 4. | परामर्श असाइनमेंट/निरीक्षण, कैलीब्रेशन, अनुप्रयोग विकास की संख्या | 18001 |
| 5. | उद्योग के साथ संपर्क बैठकें | 42 |
| | **योग** | **59756** |

### 9.4 अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँः

सिपेट के पास पेट्रोरसायन में उन्नत अनुसंधान के लिए स्कूल (एसएआरपी) के रूप में सुस्थापित आरएंडडी विंग है, अर्थात्, (प) प्रौद्योगिकी और उत्पाद सिमुलेशन के लिए उन्नत अनुसंधान स्कूल (एआरएसटीपीएस), चेन्नई; (पप) पॉलिमेरिक सामग्री में उन्नत अनुसंधान के लिए प्रयोगशाला (एलएआरपीएम), भुवनेश्वर; और (पपप) उन्नत पॉलिमर डिजाइन और विकास अनुसंधान प्रयोगशाला (एपीडीडीआरएल), बेंगलुरु।

सिपेट द्वारा 2024—25 (अक्टूबर, 2024 तक) के दौरान की गई अनुसंधान गतिविधियों का सारांश नीचे दिया गया हैः

| क्रम सं. | अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ | कुल उपलब्धि |
|---|---|---|
| 1. | प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में शोध प्रकाशन (क्यू1 और क्यू2) | 21 |
| 2. | अनुसंधान एवं विकास के लिए उद्योग क्षेत्रों हेतु कार्यशालाएं | 5 |
| 3. | प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या | 6 |
| 4. | अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों के माध्यम से पुस्तक/अध्याय | 9 |
| 5. | रिसर्च स्कोलर की संख्या (पीएचडी पंजीकरण) | 1 |
| **योग** | | **42** |

वर्ष के दौरान शुरू की गई कुछ प्रमुख अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं इस प्रकार हैंः

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | प्रायोजक एजेंसी | बजट (लाख रूपये में) |
|---|---|---|---|
| 1. | पीएलए माइक्रोप्लास्टिक्स | मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड | 43.01 |
| 2. | कागज में रसायनों का विश्लेषण – स्ट्रा | मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड | 27.61 |
| 3. | खोई आधारित ट्रे में रसायन | मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड | 17.05 |
| 4. | लकड़ी आधारित कटलरी में रसायनों का विश्लेषण | मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड | 10.45 |
| 5. | स्मार्ट खिलौनों के लिए ड्राई कोटिंग प्रक्रिया द्वारा उच्च ऊर्जा सुपरकैपेसिटर का विकास | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार डीएसटी | 160.94 |
| 6. | जल निकायों में सौर पीवी पैनलों की स्थापना के लिए लागत प्रभावी फ्लोटिंग सिस्टम का डिज़ाइन | एचपीसीएल — मित्तल एनर्जी लिमिटेड, नोएडा | 40.00 |

**9.5 वित्तीय प्रदर्शनः**

वित्तीय वर्ष 2024–25 (अक्टूबर, 2024 तक) के दौरान, सिपेट ने 160.23 करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व अर्जित किया है। सिपेट ने अपनी सिविल और तकनीकी अवसंरचना सुविधाओं को समृद्ध किया है, जिससे कौशल विकास, प्रौद्योगिकी सहायता, शैक्षणिक गतिविधियों और अनुसंधान एवं विकास सहित पेट्रोरसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में लगातार वृद्धि हुई है। यह संस्थान 2008–09 से आत्मनिर्भर मोड पर काम कर रहा है।

**9.6 उपलब्धियां**

- सिपेट, वाराणसी में पीडब्ल्यूएमसी और छात्रावास भवन का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से 20 अक्टूबर, 2024 को किया गया।
- ग्वालियर, बद्दी और रांची में सिपेटः सीएसटीएस का उद्घाटन डॉ. मनसुख मांडविया, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री, भारत सरकार द्वारा वर्चुअल तरीके से 4 मार्च, 2024 को किया गया।
- सिपेट और श्री रामचंद्र अस्पताल, चेन्नई को संयुक्त रूप से "शार्प्स डिस्पोजल कंटेनर विद द प्रोविजन फॉर डीकंटैमिनेशन एट सोर्स" नामक एक पेटेंट दिया गया है (पेटेंट संख्याः 550118, स्वीकृति की तिथिः 12.09.2024), जो डीएसटी प्रायोजित परियोजना "बायोमेडिकल कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक का डिजाइन और विकास" पर आधारित एक आविष्कार के लिए है। इससे सुइयों को विकृत करने, सिरिंज से सुई को हटाने और स्रोत पर ही विकृत सुइयों को कीटाणुरहित करने में मदद मिलेगी।

**9.7 समझौता ज्ञापन / अनुबंध पर हस्ताक्षर**

- पेट्रोरसायन और संबद्ध क्षेत्र में शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग को मजबूत करने के लिए संकाय आदान–प्रदान और सेमिनारों के आयोजन के लिए भारतीय प्लास्टिक संस्थान (आईपीआई), मुंबई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- ,स्टार्टअप्स के लिए इनक्यूबेशन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए फाउंडेशन फोर इन्नोवेशन ंएंड रिसर्च इन साइंस एंड टैक्नोलॉजी (एफआईआरएसटी) आईआईटी कानपुर के साथ समझौता ज्ञापन
- लखनऊ, वाराणसी, रांची और हाजीपुर में सिपेट केंद्रों पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) के साथ समझौता ज्ञापन।

**कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी)**

**9.8** आईपीएफटी, गुरुग्राम एक स्वायत्त संस्थान है जो भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के अंतर्गत सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। आईपीएफटी अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है, जो अत्याधुनिक उपयोगकर्ता और पर्यावरण अनुकूल नई पीढ़ी के कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए समर्पित है और इस क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में उभरा है।

आईपीएफटी के प्राथमिक उद्देश्यों में नई पीढ़ी की कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकियों का विकास करना, कुशल और नई अनुप्रयोग प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, सुरक्षित विनिर्माण प्रथाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करना,

विश्लेषणात्मक और परामर्श सेवाएं प्रदान करना, तथा वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और कृषि रसायन उद्योगों और शिक्षा जगत के छात्रों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।

संस्थान ने कृषि रसायन उद्योगों के साथ एक स्वस्थ संबंध स्थापित किया है और विभिन्न प्रकार की सूत्रीकरण तकनीकें विकसित की हैं जिन्हें व्यावसायीकरण के लिए उद्योग को हस्तांतरित किया गया है। यह संस्थान कृषि रसायन और संबद्ध उद्योगों के लिए अनुसंधान एवं विकास सहायता सेवाएँ, गुणवत्ता नियंत्रण और विनियामक डेटा निर्माण प्रदान करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। आईपीउएफटी विभिन्न सूत्रीकरणों और खाद्य वस्तुओं में कृषि रसायनों के विश्लेषण और परीक्षण के लिए एनएबीएल–मान्यता प्राप्त और जीएलपी–प्रमाणित है। यह केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति सीआईबीएंडआरसी दिशानिर्देशों के अनुसार कीटनाशक पंजीकरण के लिए डेटा उत्पन्न करने के लिए एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला भी है। आईपीएफटी आंतरिक और बाहरी रूप से वित्तपोषित दोनों तरह के अनुसंधान एवं विकास प्रोजेक्ट चलाता है।

### 9.9 कार्यात्मक वर्टिकल

आईपीएफटी में फॉर्मूलेशन, एनालिटिकल और बायो–साइंस वर्टिकल हैं। ये सभी संस्थान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्य में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।

### 9.10 सूत्रीकरण गतिविधियाँ

यह फार्मूलेशन वर्टिकल उपयोगकर्ता और पर्यावरण के अनुकूल नई पीढ़ी के कीटनाशक फार्मूलेशन के विकास में लगा हुआ है। अब तक 85 से अधिक फार्मूलेशन तकनीकें विकसित की जा चुकी हैं, जिनमें से अधिकांश को भारत और विदेशों में विभिन्न कीटनाशक उद्योगों को व्यावसायीकरण के लिए हस्तांतरित किया जा चुका है। सिंथेटिक कीटनाशकों के सुरक्षित विकल्प के रूप में जैव–वनस्पति आधारित फार्मूलेशन भी विकसित किए जा रहे हैं। नवीनतम तकनीकों और नैनो–प्रौद्योगिकी आधारित फार्मूलेशन पर उन्नत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान किया जा रहा है। आईपीएफटी में विकसित प्रयोगशाला स्तर की सूत्रीकरण प्रौद्योगिकियों को पायलट प्लांट में आगे बढ़ाया जा रहा है, जो जैव–वनस्पति और नई पीढ़ी के सूत्रीकरणों के अर्ध–व्यावसायिक विस्तार के लिए प्रायोजित परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल है।

### 9.11 विश्लेषणात्मक गतिविधियाँ

विश्लेषणात्मक वर्टिकल को पीने के पानी सहित विभिन्न खाद्य वस्तुओं में 278 कीटनाशकों और 17 भारी धातुओं, 150 कीटनाशक सूत्रीकरणों और सीडब्ल्यूसी से संबंधित रसायनों के परीक्षण के लिए आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अनुसार एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह सुविधा राष्ट्रीय जीएलपी अनुपालन निगरानी प्राधिकरण (एनजीसीएमए) द्वारा 5 बैच विश्लेषण और कृषि रसायनों के अवशेष अध्ययन सहित भौतिक–रासायनिक विश्लेषण के लिए जीएलपी सुविधा के रूप में भी प्रमाणित है। विभाग के पास अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं और यह कीटनाशकों और उनके सेत्रीकरणों के विश्लेषणात्मक लक्षण वर्णन, भौतिक–रासायनिक विश्लेषण और ट्रेस विश्लेषण के लिए परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित है। इसके अलावा, कीटनाशक पंजीकरण पर डेटा उत्पन्न करने के लिए आईपीएफटी को केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (सीआईबी और आरसी) द्वारा मान्यता प्राप्त है।

**विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला में उन्नत उपकरण**

## 9.12 जैव–विज्ञान गतिविधियाँ

यह विभाग विभिन्न कीटनाशकों के नए फॉर्मूलेशन पर जैव–प्रभावकारिता, फाइटोटॉक्सिसिटी अध्ययन में लगा हुआ है। इस प्रभाग को जैव–प्रभावकारिता, फाइटोटॉक्सिसिटी, अनुकूलता, प्राकृतिक शत्रुओं पर कीटनाशकों के प्रभाव और कीटनाशकों के अवशिष्ट पहलुओं पर डेटा तैयार करने के लिए सीआईबीएंडआरसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह प्रभाग विभिन्न कृषि फसलों में ड्रोन स्प्रे द्वारा किए जाने वाले विभिन्न फॉर्मूलेशन के क्षेत्र परीक्षण भी कर रहा है।

**प्रयोगशाला और क्षेत्र स्तर जैव–प्रभावकारिता अध्ययन**

## 9.13 प्रमुख उपलब्धियां (सहायता अनुदान परियोजनाएं)

- **राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशिष्टों की निगरानी जो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्लू), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है**

  परियोजना के अधिदेश के अनुसार, हर महीने दो स्थानों (रोहतक और गुरुग्राम) से अनाज, दालें, सब्ज़ियाँ, फल और दूध के कुल 81 नमूने एकत्र किए जाते हैं। कीटनाशक अवशेषों के संदूषण के लिए नमूनों का विश्लेषण किया जाता है और रिपोर्ट परियोजना समन्वय केंद्र को मासिक आधार पर प्रस्तुत की जाती है।

**बाजार और किसानों के खेतों से सब्जियों और फलों का नमूना संग्रह**

- कृषि, भंडारित अनाज कीटों, नेमाटोड और टिक्स परजीवियों के प्रबंधन के लिए कुशल वितरण प्रणाली के रूप में सूक्ष्मजीवी और वनस्पति कीटनाशकों और उनके फॉर्मूलेशन का विकास, मानकीकरण और अनुकूलन(आईसीएआर– राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कोष द्वारा प्रायोजित, अवधिः मार्च 2024 से फरवरी 2027 तक)

  इस परियोजना का उद्देश्य नेमाटोड, कृषि में कीटों और नेटेरिनरी क्षेत्रों में टिक्स परजीवियों के नियंत्रण के लिए जैव–वनस्पति सूत्रीकरण विकसित करना है। मिट्टी के अनुप्रयोग के लिए लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, पामरोसा के वनस्पति आधारित स्लो रिलीज ग्रेन्यूल सूत्रीकरण विकसित किए गए। जैव–प्रभावकारिता अध्ययन प्रगति पर हैं। कृषि कीटों के नियंत्रण के लिए माइक्रोबियल ट्राइकोडर्मा विराइड आधारित सूत्रीकरण और पशु चिकित्सा अनुप्रयोगों में टिक्स नियंत्रण के लिए वनस्पति एम. धतूरा अर्क आधारित सूत्रीकरण विकासाधीन हैं।

**विकसित किए गए जैव–वनस्पति आधारित फॉर्मूलेशन**

- भारतीय सरसों में प्रमुख बायोटिक (ओरोबैंच और अल्टरनेरिया) स्ट्रेस के प्रबंधन के लिए आनुवंशिक और रासायनिक विकल्पों की तैनाती(आईसीएआर– राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कोष द्वारा प्रायोजित, अवधिः मार्च 2024 से फरवरी 2027 तक)

  इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सरसों की फसल में ओरोबैंच परजीवी खरपतवारों के नियंत्रण के लिए खरपतवारनाशक सूत्रीकरण विकसित करना है। सरसों और रेपसीड फसलों में ओरोबैंच खरपतवार के प्रबंधन के लिए सिंथेटिक खरपतवारनाशक पेंडीमेथालिन, मेटसुल्फ्यूरॉन मिथाइल और नीम आधारित सस्पो–इमल्शन, जेडसी सूत्रीकरण विकसित किए गए हैं। जैव–प्रभावकारिता अध्ययन प्रगति पर हैं।

- लिग्नोसेल्यूलोसिक अपशिष्टों के सतत प्रबंधन और क्लोरपाइरीफोस (डीटी 50) दूषित स्थलों के जैव–उपचार के लिए कृषि मृदा सूक्ष्मजीवों की व्याख्या(आईसीएआर– राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कोष द्वारा प्रायोजित, अवधि मार्च, 2024 दृ फरवरी, 2027)

  इस परियोजना का उद्देश्य माइक्रोबियल कंसोर्टिया के उपयोग के लिए तैयार और स्थिर तैयार उत्पादों के विकास के माध्यम से खेत में फसल अवशेषों को जलाने की समस्या का समाधान करना है, जो सेल्यूलोज के अपघटन के साथ–साथ कीटनाशक से दूषित मिट्टी की बहाली में सक्षम हैं। वर्तमान में, माइक्रोबियल कंसोर्टियम की विकास प्रक्रिया में उपयोग के लिए मिट्टी की जांच और चयन के लिए एलसी–एमएस/एमएस और जीसी–एमएस/एमएस का उपयोग करके विभिन्न क्षेत्रों से मिट्टी के नमूनों में कीटनाशक अवशेषों के निर्धारण के लिए काम चल रहा है। इसके अलावा, जीसी–एमएस/एमएस का उपयोग करके माइक्रोबियल कंसोर्टियम उपचारित नमूनों में क्लोरपाइरीफोस और इसके रिपोर्ट किए गए मेटाबोलाइट्स के क्षरण पैटर्न का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं।

## 9.14 अनुसंधान एवं विकास

- **शाकनाशियों के संयोजन से वाटर– डिस्पार्सेबल पाउडर का सूत्रीकरणः**

  उद्योग सुमिशो एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित परियोजना के तहत तीन खरपतवारनाशकों के संयोजन से बना वाटर– डिस्पार्सेबल सूत्रीकरण का विकास किया जा रहा है। कम छिड़काव के साथ, यह फार्मूलेशन विभिन्न कृषि फसलों में विभिन्न परजीवी खरपतवारों के खिलाफ प्रभावकारिता प्रदान करता है।

- **नैनो सस्पो–इमल्शन फॉर्मूलेशन**

  एज़ोक्सीस्ट्रोबिन और प्रोपिकोनाज़ोल संयोजन के फफूंदनाशकों का नैनो सस्पो–इमल्शन विकसित किया गया। यह फार्मूलेशन विभिन्न फसलों में फफूंद रोगजनकों की विस्तृत श्रृंखला के विरुद्ध व्यापक स्पेक्ट्रम प्रभावकारिता प्रदान करेगा। जैव–प्रभावकारिता अध्ययन प्रगति पर हैं।

- **वनस्पति आधारित मच्छर निरोधक**

  मच्छर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि बीमारियों के वाहक के रूप में काम करते हैं। लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाने पर सिंथेटिक मच्छर भगाने वाले उत्पाद एलर्जी, त्वचा में जलन जैसे स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा कर सकते हैं और मच्छरों में प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित कर सकते हैं। गामा डेका लैक्टोन के वनस्पति आधारित माइक्रो इमल्शन फॉर्मूलेशन के विकास के लिए काम प्रगति पर है। वनस्पति आधारित फॉर्मूलेशन सिंथेटिक उत्पादों के मुकाबले सुरक्षित विकल्प हो सकता है।

**मच्छर रेपलेंट और सस्पो–इमल्शन फॉर्मूलेशन**

## 9.15 कृषि रसायन उद्योग के लिए अनुसंधान एवं विकास सहायता सेवाएं

- **जीएलपी अध्ययनः**

  निम्नलिखित तीन अवशेष अध्ययन परियोजनाएँ और एक पाँच बैच विश्लेषण परियोजना उद्योगों द्वारा प्रायोजित की गई हैं। अध्ययन सीआईबी एंड आरसी और ओईसीडी जीएलपी आवश्यकताओं के प्रोटोकॉल के अनुसार आयोजित किए गए थे। अध्ययनों की रिपोर्ट प्रायोजक उद्योग को प्रस्तुत कर दी गई है।

1. सिल्वर नैनोकणों का भौतिक रासायनिक विश्लेषण– पांच बैच विश्लेषण।
2. बीज कपास और मिट्टी में एचएमबी 01 / 1कक / 21 17.5% जेडसी (डेल्टामेथ्रिन 2.5% + डिनोटेफ्यूरान 15% जेडसी) के अवशेष का अध्ययन।
3. सोयाबीन (फली, केक, तेल और मिट्टी) में फ्लक्सापायरोक्सैड 333 जी / एल एफएस के अवशेष का अध्ययन।
4. कपास लिंट में बीज तेल, डी–ऑयल केक और मिट्टी के साथ फ्लक्सापायरोक्सैड 333 जी / एल एफएस के अवशेष का अध्ययन।

- **विश्लेषण प्रमाणपत्र और नमूना विश्लेषण रिपोर्ट**

  कीटनाशक निर्माण के नमूने नियमित आधार पर विभिन्न उद्योगों से उनके विश्लेषण और सीओए (विश्लेषण का प्रमाण पत्र) तैयार करने के लिए प्राप्त किए जाते हैं। शोध छात्रों सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से भी नमूने प्राप्त किए गए हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान 990 नमूनों का विश्लेषण किया गया है।

- **ओपीसीडब्ल्यू प्रोफीसिएंसी टेस्ट**

  आईपीएफटी ने 23 अक्टूबर से 6 नवंबर 2024 तक रासायनिक हथियार निषेध संगठन के 56वें प्रोफीसिएंसी टेस्ट में भाग लिया।

- **जैव–प्रभावकारिता क्षेत्र परीक्षण**

  आईपीएफटी प्रायोगिक अनुसंधान फार्म में निम्नलिखित उद्योग–प्रायोजित परियोजनाएं क्रियान्वित की गईं। कुछ परीक्षण अभी चल रहे हैं जबकि अन्य के लिए, रिपोर्ट पूरी हो चुकी हैं और प्रायोजक कंपनियों को सौंप दी गई हैं:

- बैंगन की फसल पर दो धब्बेदार लाल स्पाइडर माइट के विरुद्ध जैव–प्रभावकारिता, फाइटोटॉक्सिसिटी और प्राकृतिक शत्रुओं पर प्रभाव फ्यूजेरियमस्यूडोएंथोफिलियम 5% + पर्पुरियोसिलियम 5% एससी – दो मौसम के लिए
- गेहूं की फसल पर फ्लैग स्मट और करनाल बंट के खिलाफ थिरम 75% डब्ल्यूएस की जैव–प्रभावकारिता और फाइटोटॉक्सिसिटी – एक सीजन
- जौ की फसल पर लीफ स्ट्राइप के खिलाफ थिरम 75% डब्ल्यूएस की जैव–प्रभावकारिता और फाइटोटॉक्सिसिटी – एक मौसम
- ज्वार की फसल पर लूज स्मट और सीडलिंग ब्लाइट के विरुद्ध थाइरम 75% डब्ल्यूएस की जैव–प्रभावकारिता और फाइटोटॉक्सिसिटी – एक मौसम
- कपास की फसल पर बीज जनित रोग के विरुद्ध थिरम 75% डब्ल्यूएस की जैव–प्रभावकारिता और फाइटोटॉक्सिसिटी – एक मौसम
- मक्का की फसल पर सीडलिंग ब्लाइट रोग के विरुद्ध थिरम 75% डब्ल्यूएस की जैव–प्रभावकारिता और फाइटोटॉक्सिसिटी – एक मौसम
- आलू की फसल पर स्कैब रोग के विरुद्ध थिरम 75% डब्ल्यूएस की जैव–प्रभावकारिता और फाइटोटॉक्सिसिटी – एक मौसम
- कपास की फसल पर बॉलवर्म कॉम्प्लेक्स के खिलाफ बीएएल 175 फॉर्मूलेशन की जैव–प्रभावकारिता, फाइटोटॉक्सिसिटी और प्राकृतिक दुश्मनों पर प्रभाव का अध्ययन (दो सीजन)
- कपास की फसल पर कीटों के विरुद्ध बीएएल 2150 फॉर्मूलेशन की जैव–प्रभावकारिता, फाइटोटॉक्सिसिटी और प्राकृतिक शत्रुओं पर प्रभाव का अध्ययन
- मिर्च की फसल पर फ्लक्सामेटामाइड 3.0% + बिफेन्थ्रिन 4.5% + फेनपाइरॉक्सिमेट 2% ईसी (केआरईपीएल) की जैव–प्रभावकारिता और फाइटोटॉक्सिसिटी का अध्ययन ––– दो मौसमों के लिए

- पीजनपी के कीटों के विरुद्ध क्लोरएंट्रानिलिप्रोएल 12% + साइपरमेथ्रिन 24% डब्ल्यू/वी ओडी की जैव–प्रभावकारिता ––– दो मौसमों के लिए
- कपास में सकिंग कीट और गुलाबी बॉलवर्म के विरुद्ध क्लोरएंट्रानिलिप्रोएल 12% + साइपरमेथ्रिन 24% डब्ल्यू/वी ओडी की जैव–प्रभावकारिता ––– दो मौसमों के लिए
- गन्ने में टॉप बोरर (स्किर्पोफेगेएक्ससेरप्टालिस) के विरुद्ध मोर्टार (कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 75% एसजी) की जैव–प्रभावकारिता, फाइटोटॉक्सिसिटी और प्राकृतिक शत्रुओं पर प्रभाव ––– दो मौसमों के लिए
- मक्का में कीटों के विरुद्ध टोप्रामाजोन शाकनाशी के लिए एक सहायक की जैव–प्रभावकारिता और फाइटोटॉक्सिसिटी (एक मौसम के लिए अतिरिक्त तीन उपचार)
- टमाटर में अर्ली ब्लाइट और जीवाणु कैंकर के विरुद्ध इजुकी का मूल्यांकन

### 9.16 मानव संसाधन विकास

आईपीएफटी विभिन्न उद्योगों के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए फॉर्मूलेशन, विश्लेषणात्मक लक्षण वर्णन और अनुप्रयोग तकनीकों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है ताकि उनका ज्ञान और दक्षता बढ़ाई जा सके। आईपीएफटी छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है और कौशल विकास के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण भी देता है।

### 9.17 जागरूकता एवं विस्तार गतिविधियाँ

- गुरुग्राम जिले के किसानों के लिए 30 मई, 2024 को आईपीएफटी फार्म में फसल सुरक्षा के लिए कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग और ड्रोन स्प्रे पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में लगभग सौ किसानों ने भाग लिया।

**30 मई, 2024 को फसल सुरक्षा के लिए कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग और ड्रोन स्प्रे पर गुरुग्राम जिले के किसानों के लिए आईपीएफटी द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया**

*IPFT Foundation day celebration on 31st May, 2024*

आईपीएफटी ने 22–24 अगस्त 2024 के दौरान भिवानी में इंस्पायर फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्रतिज्ञा प्रदर्शनी में भाग लिया।

10.1 सचिव, भारत सरकार विभाग के प्रमुख हैं। एक संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, तीन संयुक्त सचिव, एक आर्थिक सलाहकार, एक उप महानिदेशक और एक मुख्य लेखा नियंत्रक उनकी सहायता करते हैं। (संगठन चार्ट अनुलग्नक ट पर दिया गया है।)

**विभाग के मुख्य सचिवालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगों को रोजगार**

10.2 विभाग के मुख्य सचिवालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगों के रोजगार की स्थिति 31.12.2024 की स्थिति के अनुसार निम्नानुसार हैः

| समूह | कुल पदों की संख्या | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | दिव्यांग |
|---|---|---|---|---|
| **क** | 36 | 2 | 3 | 0 |
| **ख** | 65 | 10 | 4 | 0 |
| **ग** | 72 | 6 | 2 | 4 |
| **कुल** | **173** | **18** | **9** | **4** |

10.3 समूह 'क' में अखिल भारतीय सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी, केंद्रीय सेवाओं, केंद्रीय सचिवालय सेवा से संबंधित अधिकारी और विभाग के तकनीकी पद शामिल हैं। समूह 'ख' और 'ग' के पदों पर नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, राजभाषा विभाग और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भेजे गए नामांकन के आधार पर की जाती है।

**रिकॉर्ड प्रबंधन**

10.4 अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, सामान्य प्रशासन के प्रभारी अवर सचिव को विभाग में अभिलेख अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। विभाग का आधुनिक रिकॉर्ड रूम उद्योग भवन में स्थित है।

**एक पेड़ माँ के नाम**

10.5 #एक–पेड़–माँ–के–नाम#माननीय प्रधानमंत्री द्वारा #च्संदज4डवजीमत नामक एक वैश्विक अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें लोगों से अपनी मां के प्रति प्रेम और सम्मान के प्रतीक के रूप में तथा धरती माता की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पेड़ लगाने का आह्वान किया गया।

विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वयंसेवकों जैसे सभी हितधारकों और विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को अभियान चलाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया गया।

**अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसः**

10.6 विभाग में 21 जून, 2024 को भारतीय योग एवं प्रबंधन संस्थान (आईआईवाईएम) के सहयोग से "स्वयं एवं समाज के लिए योग" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) मनाया गया।

**साइबर स्वच्छता केंद्र पर विभाग का समावेशनः**

**10.7** प्रौद्योगिकी के तेजी से अपनाए जाने तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा रखे जाने वाले डेटा के अत्यधिक महत्व को देखते हुए, साइबर हमलों के बढ़ते खतरों को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी–इन) ने साइबर स्वच्छता केंद्र की स्थापना की है और विभाग/संगठनों के आईटी बुनियादी ढांचे के भीतर चल रही बॉटनेट/मैलवेयर या कमजोर सेवाओं से संक्रमित आईपी पते का पता लगाने और संबंधित विभागों/संगठनों के साथ ऐसी घटनाओं के विवरण के साथ स्वचालित दैनिक रिपोर्ट/फीड साझा करने के लिए तंत्र तैनात किया है, ताकि क्लीन अप कार्रवाई को सक्षम बनाया जा सके। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग को साइबर स्वच्छता केंद्र पर शामिल करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है।

**साइबर की संपत्तियों की सुरक्षा और रखरखावः**

**10.8** एंडपॉइंट्स के केंद्रीकृत प्रबंधन के लिए, सभी एंडपॉइंट्स पर यूईएम (यूनिफाइड एंडपॉइंट मैनेजमेंट) टूल को इंस्टॉल करने का कार्य पूरा हो गया है और साथ ही, सभी एंडपॉइंट्स पर एडमिन विशेषाधिकारों का प्रतिबंध लगाया गया है।

मौजूदा जोखिम को दूर करने के लिए विभाग के सभी एंडपॉइंट्स पर ईडीआर (एंडपॉइंट डिटेक्शन रिस्पॉन्स) टूल इंस्टॉल किया गया है। यह एक एंडपॉइंट सुरक्षा समाधान है जो रैनसमवेयर और मैलवेयर जैसे साइबर खतरों का पता लगाने और उन पर कार्रवाई करने के लिए एंड–यूज़र डिवाइस की निरंतर निगरानी करता है। भविष्य में निगरानी और सुरक्षा के लिए, विभाग के सभी एंडपॉइंट्स पर यूनिफाइड एंडपॉइंट मैनेजमेंट (यूईएम) इंस्टॉल किया गया है। यह सॉफ़्टवेयर आईटी और सुरक्षा टीमों को ऑपरेटिंग सिस्टम या लोकेशन की परवाह किए बिना एक ही टूल के साथ संगठन के सभी एंड–यूज़र डिवाइस, जैसे डेस्कटॉप और लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, वियरेबल्स की निगरानी, प्रबंधन और सुरक्षा करने में सक्षम बनाता है। भविष्य में ऐसी किसी भी तरह के जोखिम को रोकने के लिए, विभाग से संबंधित एंडपॉइंट्स के लिए एनआईसी नेटवर्क सुरक्षा टीम द्वारा भेजी गई दैनिक फ़ायरवॉल लॉग रिपोर्ट (दैनिक घुसपैठ, सुरक्षा आसूचना, मैलवेयर घटनाओं का संकेत) का एनआईसी शास्त्री भवन नेटवर्क केंद्र द्वारा दैनिक विश्लेषण किया जाता है और इसके प्राप्त होने पर कमजोर एंडपॉइंट्स पर पैच अपडेट/वायरस हटाने जैसी सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

वर्चुअल एयर गैप के लिए, एनआईसी नेटवर्क डिवीजन से नेटवर्क सेगमेंटेशन आवंटित किया गया है और शास्त्री भवन में 4 पुराने स्विच और उद्योग भवन में एक स्विच को बदल दिया गया है। प्रौद्योगिकी के तेजी से अपनाए जाने और सरकारी संस्थाओं द्वारा रखे गए डेटा के महत्व के साथ, साइबर हमलों के बढ़ते जोखिमों को देखते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी–इन) ने साइबर स्वच्छता केंद्र की स्थापना की है और विभाग/संगठनों के आईटी बुनियादी ढांचे के अंदर बॉटनेट/मैलवेयर से संक्रमित आईपी एड्रेस या असुरक्षित सेवाओं का पता लगाने और संबंधित विभाग/संगठनों के साथ ऐसी घटनाओं के विवरण के साथ स्वचालित दैनिक रिपोर्ट/फीड साझा करने के लिए तंत्र बनाए हैं, ताकि उपचारात्मक कार्रवाई को सक्षम किया जा सके। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग को साइबर स्वच्छता केंद्र पर ऑन बोर्डिंग के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है।

**स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजनः**

**10.9** रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग में 1.9.2024 से 15.9.2024 तक 9वां स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया तथा इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों ने कार्यालय परिसरों/कारखानों/प्रयोगशालाओं/शौचालय/परिसरों की सफाई जैसी विभिन्न स्वच्छता गतिविधियाँ कीं। स्वच्छता पर बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए। पखवाड़े के दौरान निबंध लेखन, कविता पाठ और चित्रकला प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रमदान गतिविधि भी की। रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल के अनुसार फिजीकल फाइलों की समीक्षा/छंटाई की गई। इस अवधि के दौरान ई–फाइलों और ई–आवतियों की भी समीक्षा की गई।

**नशा मुक्त भारत अभियान का आयोजनः**

**10.10** नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था। इसके 5वें वर्ष पर, 12 अगस्त 2024 को एक सामूहिक शपथ का आयोजन किया गया। इस वर्ष के नशा मुक्त भारत अभियान का विषय है ''विकसित

भारत का मंत्र, भारत हो नशे से स्वतंत्र''। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग और उसके स्वायत्त निकायों/पीएसयू के सभी अधिकारियों को 12.08.2024 को शपथ दिलाई गई।

**गवर्नमेंट ई–मार्केट (जेम) के माध्यम से खरीद**

**10.11** विभाग ने इसके द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से करके सरकार के ई–खरीद प्लेटफॉर्म का पूर्ण उपयोग किया। इसके परिणामस्वरूप, 01.04.2024 से 20.11.2024 तक की अवधि में जेम के माध्यम से खरीदे गए सामानों का मूल्य पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 471.71 लाख रुपये के खरीद मूल्य के मुकाबले 306.09 लाख रुपए है।

**स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजनः**

**10.12** 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान मनाया गया, जिसका विषय था 'स्वभाव स्वच्छता – संस्कार स्वच्छता' तथा 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया। यह अभियान आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एसबीएम–ग्रामीण और एसबीएम–शहरी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। गतिविधियों के तीन मुख्य स्तंभ निम्नलिखित थे–

- स्वच्छता की भागीदारी – सार्वजनिक इकाई भागीदारी, जागरूकता और समर्थन
- संपूर्ण स्वच्छता – स्वच्छता लक्षित इकाई सहित
- सफाई मित्र सुरक्षा शिविर– निवारक स्वास्थ्य जांच और सामाजिक सुरक्षा कवरेज

विभाग सचिवालय के साथ–साथ विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों ने अभियान के दौरान स्वच्छता अभियान, शून्य अपशिष्ट कार्यक्रम, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, सेल्फी पॉइंट्स की स्थापना आदि जैसी विभिन्न स्वच्छता गतिविधियाँ कीं। नियमित सफाई कार्यों और पर्यावरण, स्वास्थ्य और स्वच्छता जोखिम के भाग के रूप में चिह्नित क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट (सीटीयू) दृऐसे क्षेत्र जो आम तौर पर उपेक्षित कचरा बिंदु होते हैं, जिन्हें साफ करना मुश्किल होता है, के परिवर्तन पर विशेष ध्यान दिया गया। हमारे राष्ट्रपिता की जयंती के शुभ अवसर पर स्वच्छता दिवस धूमधाम से मनाया गया।

**विशेष अभियान 4.0 का अवलोकनः**

**10.13** रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग तथा उसके संगठनों ने स्वच्छता को मुख्यधारा में लाने और कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करके 2.10.2024 से 31.10.2024 के दौरान विशेष अभियान 4.0 में उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्वच्छता को मुख्यधारा में लाने की दिशा में विभाग ने अपने रिकॉर्ड रूम में पड़ी सभी 2443 फिजीकल फाइलों की समीक्षा करने का लक्ष्य रखा। समीक्षा पूरी होने पर, अभियान के दौरान कुल 1250 फाइलों को नष्ट किया गया। विभाग ने ई–फाइलिंग प्रणाली को अपनाने के बाद से विभाग में खोली गई सभी 4656 ई–फाइलों की भी समीक्षा की और अभियान के दौरान 880 ई–फाइलें बंद कीं।

स्वच्छता अभियान के तहत 28,128 वर्ग फीट जगह खाली की गई तथा विभाग और उसके संगठनों द्वारा कबाड़ के निपटान से 15,82,889 रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। अभियान के दौरान, विभाग के संगठनों जैसे सिपेट, आईपीएफटी, एचओसीएल और एचआईएल ने कार्यालय के बाहर के स्थानों पर स्वच्छता संदेश फैलाने का कार्य किया। इसके लिए, पार्कों, रेलवे और बस स्टेशनों, ऐतिहासिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, बाजारों आदि जैसे 153 सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाए गए।

**राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह**

**10.14** विभाग में 19.10.2024 से 25.10.2024 तक राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह मनाया गया। सभी कर्मचारियों को सप्ताह के दौरान कम से कम 4 घंटे का शिक्षण पूरा करने का निर्देश दिया गया। इस अवधि के दौरान विभाग ने आईजीओटी के परामर्श से दो वेबिनार आयोजित किए, जिनका शीर्षक था "द हायरिंग इसेन्शल्स – योग्यता आधारित नियुक्ति, विविधता और समावेशन तथा साक्षात्कार कौशल" और "नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए नौकरशाही को प्रेरित करना"। आईजीओटी पर चुनिंदा पाठ्यक्रमों की पहचान की गई है और उन्हें प्रशिक्षण योजना के रूप में प्रकाशित किया गया है और विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से उनका उपयोग किया जा रहा है।

**सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजनः**

**10.15** विभाग में 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। जिसका विषय था "राष्ट्र की समृद्धि के लिए ईमानदारी की संस्कृति"। सप्ताह के दौरान विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ईमानदारी की शपथ दिलाई गई।

## राष्ट्रीय एकता दिवस

**10.16** रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने 30.10.2024 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई गई।

## हर घर तिरंगा अभियानः

**10.17** भारत के स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए 9 से 15 अगस्त 2024 तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को अपने परिसर में झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अभियान को सफल बनाने के लिए अधिकारियों ने तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी वेबसाइट ूींतहींतजपतंदहं.बवउ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड की।

## लोक शिकायतों का निवारण

**10.18** विभाग के अंतर्गत कार्यरत आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र सभी लोक शिकायतों पर कार्रवाई करता है। आर्थिक सलाहकार को विभाग के लोक शिकायत के नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। लोक शिकायत में नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, कमरा नंबर, टेलीफोन नंबर आदि को विभाग की वेबसाइट (ीजजचः//बीमउपबंसे/हवअ.पद.) पर प्रदर्शित किया गया है। प्रत्येक प्रभाग में एक लोक शिकायत अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जो संबंधित प्रभागों से संबंधित लोक शिकायतों के निवारण की प्रगति की निगरानी करेगा।

## संविधान दिवस समारोह

**10.19** 26 नवम्बर 2024 को मनाए जाने वाले संविधान दिवस समारोह के एक भाग के रूप में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया और इसकी विचारधारा को बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्धता जताई गई।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF
PARLIAMENTARY AFFAIRS

NeVA
Digital Legislatures

PREAMBLE TO THE CONSTITUTION

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA,
having solemnly resolved to constitute India
into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC
REPUBLIC and to secure to all its citizen:
JUSTICE, social, economic and political;
LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY of status and of opportunity;
and to promote among them all
FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity
and integrity of the Nation;
IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this 26th day of
November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO
OURSELVES THIS CONSTITUTION.

I have read the Preamble.

Date: 26 Nov, 2023

Deepak Kumar
Name

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

**10.20** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत, विभाग में आरटीआई से संबंधित कार्यों के समन्वय के लिए एक आरटीआई प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। यह प्रकोष्ठ आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगने वाले आवेदनों को एकत्रित करता है, उन्हें विषय–वस्तु से संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों/लोक प्राधिकरणों को हस्तांतरित करता है तथा केंद्रीय सूचना आयोग को आरटीआई आवेदनों/अपीलों की प्राप्ति और निपटान के संबंध में तिमाही रिटर्न प्रस्तुत करता है।

क) सभी अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी स्तर के अधिकारियों को अधिनियम की धारा 5(1) के तहत उनके द्वारा देखे जा रहे विषयों के अनुसार केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है।

ख) सभी निदेशक / उप सचिव स्तर के अधिकारियों को उनके साथ सीपीआईओ के रूप में कार्यरत अवर सचिवों / अनुभाग अधिकारियों के संबंध में अधिनियम की धारा 19(1) के संदर्भ में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

ग) आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदनों की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए विभाग के रिसेप्शन काउंटर पर आवेदन प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। प्राप्त आवेदनों को आरटीआई प्रकोष्ठ द्वारा संबंधित सीपीआईओ / सार्वजनिक प्राधिकरणों को अग्रेषित किया जाता है।

घ) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.4.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/5/2011–आईआर के तहत जारी दिशा–निर्देशों के पैरा 1.4.1 के अनुसार, यह मंत्रालय पोर्टल के माध्यम से सभी आरटीआई आवेदनों, अपीलों और सीपीआईओ तथा अपीलीय प्राधिकारियों के उत्तरों का निपटान कर रहा है।

**सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग**

**10.21** रसायन एंव पेट्रोरसायन विभाग में राजभाषा प्रभाग अपने मुख्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त कार्यालयों में संघ सरकार की राजभाषा नीति पर वैधानिक प्रावधानों और राष्ट्रपति के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

**10.22** विभाग में 14 से 28 सितम्बर, 2024 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। पखवाड़े के दौरान हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी आशुभाषण, स्वरचित हिंदी कविता पाठ, हिंदी अनुवाद तथा वाद–विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। साथ ही, 30.08.2024 को सिपेटःसीएसटीएस, देहरादून में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

**10.23** प्रभाग द्वारा दिनांक 09.01.2024 को सिपेट, मुरथल, दिनांक 18.01.2024 को आईपीएफटी, गुरुग्राम, दिनांक 23.02.2024 को सिपेट (मुख्यालय), चेन्नई, दिनांक 24.02.2024 को सिपेटःआईपीटी, चेन्नई एवं सिपेटःएसएआरपी–एआरएसटीपीएस, चेन्नई तथा दिनांक 01.03.2024 को सिपेट, मदुरै का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के सुझाव दिए गए।

**10.24** राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट, परफोर्मेंस बजट, अनुदान मांगें, संसदीय प्रश्न एवं आश्वासन, विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के कागजात और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, कैबिनेट नोट, विभागीय वेबसाइट को अद्यतन करने के कागजात आदि दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए गए। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया गया। राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार दैनिक सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने के प्रयास किए गए।

**12.25** वर्ष के दौरान, विभाग के विभिन्न अनुभागों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट संकलित की गई तथा उन्हें राजभाषा विभाग को उनके डाटाबेस में शामिल करने के लिए भेजा गया। संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा की गई तथा उनमें पाई गई कमियों को सुधारने के सुझाव दिए गए।

**अनुलग्नक- I**

| प्रमुख रसायनों की उत्पादवार स्थापित क्षमता और उत्पादन | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (आंकड़े 000'मीट्रिक टन में) | | | | | | | | | |
| **प्रमुख समूह / उत्पाद** | **स्थापित क्षमता** | | | **उत्पादन** | | | | | **सीएजीआर** |
| | **2021-2022** | **2022-2023** | **2023-2024** | **2019-2020** | **2020-2021** | **2021-2022** | **2022-2023** | **2023-2024** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1. एल्कली रसायन** | | | | | | | | | |
| सोडा ऐश | 3614.00 | 3714.00 | 3714.00 | 3069.43 | 2638.12 | 3078.90 | 3219.32 | 2975.78 | -0.77 |
| कास्टिक सोडा | 4150.83 | 4227.40 | 4304.40 | 3136.94 | 2964.08 | 3462.77 | 3604.47 | 3617.99 | 3.63 |
| तरल क्लोरीन | 3124.41 | 3158.15 | 3241.96 | 2250.43 | 2174.26 | 2499.33 | 2668.85 | 2640.41 | 4.08 |
| **कुल** | **10889.24** | **11099.55** | **11260.35** | **8456.80** | **7776.46** | **9041.00** | **9492.64** | **9234.18** | **2.22** |
| **2. अकार्बनिक रसायन** | | | | | | | | | |
| □ल्युमिनियम फ्लोराइड | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 5.05 | 3.70 | 8.91 | 5.31 | 5.38 | 1.61 |
| क□ल्शियम कार्बाइड | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 81.34 | 86.78 | 98.62 | 83.44 | 80.13 | -0.37 |
| कार्बन ब्ल□क | 696.00 | 696.00 | 771.00 | 500.15 | 384.78 | 456.49 | 447.00 | 484.38 | -0.80 |
| पोटेशियम क्लोरेट | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 16.18 | 17.08 | 17.68 | 14.23 | 17.09 | 1.38 |
| टाइटेनियम डाइऑक्साइड | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 49.49 | 51.22 | 56.96 | 46.81 | 54.02 | 2.21 |
| लाल फास्फोरस | 1.68 | 1.68 | 1.19 | 1.03 | 1.07 | 1.15 | 1.17 | 0.91 | -3.08 |

प्रमुख रसायनों की उत्पादवार स्थापित क्षमता और उत्पादन

(आंकड़े 000'मीट्रिक टन में)

| प्रमुख समूह / उत्पाद | स्थापित क्षमता | | | उत्पादन | | | | | सीएजीआर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| हाइड्रोजन पेरोक्साइड | 221.77 | 221.27 | 222.29 | 122.84 | 139.90 | 143.49 | 184.37 | 188.12 | 11.24 |
| पोटेशियम आयोडेट | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.56 | 0.54 | 0.58 | 0.51 | 0.53 | -1.73 |
| कल्शियम कार्बोनेट | 383.55 | 383.55 | 383.55 | 286.83 | 274.79 | 246.78 | 252.38 | 285.06 | -0.16 |
| **कुल** | **1575.21** | **1574.71** | **1650.24** | **1063.47** | **977.78** | **1051.78** | **1058.43** | **1137.09** | **1.69** |
| **3. कार्बनिक रसायन** | | | | | | | | | |
| □सीटिक □सिड | 142.05 | 165.51 | 165.51 | 167.86 | 154.76 | 166.59 | 165.49 | 164.32 | -0.53 |
| □सिटिक □नहाइड्राइड | 119.18 | 124.65 | 112.65 | 74.15 | 75.09 | 78.43 | 97.85 | 69.05 | -1.76 |
| □सीटोन | 47.14 | 47.14 | 47.14 | 36.27 | 39.03 | 36.12 | 33.99 | 29.61 | -4.94 |
| फिनोल | 76.75 | 76.75 | 76.75 | 57.85 | 61.27 | 58.16 | 54.98 | 47.52 | -4.80 |
| मेथनॉल | 474.30 | 474.30 | 660.30 | 176.05 | 234.03 | 167.71 | 69.27 | 183.16 | 1.00 |
| फॉर्मेल्डिहाइड | 451.78 | 435.28 | 439.65 | 260.41 | 244.66 | 293.07 | 301.06 | 313.11 | 4.71 |
| नाइट्रोबेंजीन | 126.45 | 126.45 | 129.45 | 61.14 | 76.09 | 82.85 | 64.47 | 79.02 | 6.63 |
| मलिक □नहाइड्राइड | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 5.02 | 5.38 | 6.33 | 6.91 | 6.49 | 6.59 |
| पेंटेराइथ्रिटोल | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 15.21 | 11.65 | 16.33 | 15.59 | 14.39 | -1.38 |
| □निलीन | 54.10 | 54.10 | 54.10 | 25.44 | 33.53 | 39.66 | 22.17 | 30.34 | 4.50 |
| क्लोरो मीथेन | 345.99 | 438.45 | 435.75 | 296.91 | 326.95 | 340.82 | 411.56 | 386.85 | 6.84 |

प्रमुख रसायनों की उत्पादवार स्थापित क्षमता और उत्पादन

(आंकड़े 000'मीट्रिक टन में)

| **प्रमुख समूह / उत्पाद** | **स्थापित क्षमता** | | | **उत्पादन** | | | | | **सीएजीआर** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2021-2022** | **2022-2023** | **2023-2024** | **2019-2020** | **2020-2021** | **2021-2022** | **2022-2023** | **2023-2024** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| आइसोब्यूटिलबेन्ज़ीन | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 9.44 | 12.72 | 8.52 | 9.60 | 9.67 | 0.61 |
| ओ□नसीबी | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 19.84 | 23.27 | 26.69 | 27.08 | 25.43 | 6.41 |
| पी□नसीबी | 48.40 | 48.40 | 48.40 | 31.90 | 38.89 | 43.71 | 46.19 | 42.64 | 7.52 |
| □मईके | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.83 | 8.00 | 8.85 | 8.35 | 8.00 | -5.03 |
| □सीट□ल्डिहाइड | 151.97 | 151.97 | 154.97 | 77.10 | 55.97 | 72.51 | 77.70 | 64.18 | -4.48 |
| इथेनॉलामाइन्स | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 15.39 | 16.70 | 20.98 | 19.69 | 22.42 | 9.86 |
| □थिल □सीटेट | 575.06 | 575.06 | 564.26 | 473.39 | 453.13 | 445.43 | 438.34 | 439.64 | -1.83 |
| मेन्थॉल | 33.65 | 33.65 | 33.65 | 7.44 | 7.48 | 10.30 | 6.36 | 6.65 | -2.78 |
| ऑर्थो नाइट्रो टोल्यूनि | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 25.98 | 27.67 | 29.95 | 34.90 | 37.06 | 9.29 |
| **कुल** | **2800.47** | **2905.36** | **3076.24** | **1846.62** | **1906.27** | **1953.00** | **1911.52** | **1979.56** | **1.75** |
| **4. पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड** | | | | | | | | | |
| डीडीटी | 6.34 | 6.34 | 5.00 | 1.10 | 0.57 | 0.66 | 0.28 | 0.01 | -66.43 |
| म□लाथियॉन | 3.80 | 3.80 | 5.76 | 3.79 | 3.84 | 3.29 | 2.84 | 2.93 | -6.24 |
| डाइमेथो□ट | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.39 | 1.01 | 0.98 | -9.24 |
| डीडीवीपी | 33.62 | 33.62 | 24.92 | 0.00 | 0.94 | 0.42 | 0.04 | 0.00 | |
| क्विनॉलफॉस | 3.40 | 3.40 | 1.98 | 0.86 | 1.06 | 2.45 | 0.60 | 0.72 | -4.10 |
| मोनोक्रोटोफोस | 13.94 | 13.94 | 21.21 | 5.82 | 7.92 | 7.49 | 5.10 | 11.88 | 19.53 |
| □थियन | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.13 | 2.22 | 2.79 | 2.33 | 2.63 | 5.41 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □मईके | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.83 | 8.00 | 8.85 | 8.35 | 8.00 | -5.03 |
| □सीट□ल्डिहाइड | 151.97 | 151.97 | 154.97 | 77.10 | 55.97 | 72.51 | 77.70 | 64.18 | -4.48 |
| इथेनॉलामाइन्स | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 15.39 | 16.70 | 20.98 | 19.69 | 22.42 | 9.86 |
| □थिल □सीटेट | 575.06 | 575.06 | 564.26 | 473.39 | 453.13 | 445.43 | 438.34 | 439.64 | -1.83 |
| मेन्थॉल | 33.65 | 33.65 | 33.65 | 7.44 | 7.48 | 10.30 | 6.36 | 6.65 | -2.78 |
| ऑर्थो नाइट्रो टोल्यूनि | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 25.98 | 27.67 | 29.95 | 34.90 | 37.06 | 9.29 |
| **कुल** | **2800.47** | **2905.36** | **3076.24** | **1846.62** | **1906.27** | **1953.00** | **1911.52** | **1979.56** | **1.75** |
| **4. पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड** | | | | | | | | | |
| डीडीटी | 6.34 | 6.34 | 5.00 | 1.10 | 0.57 | 0.66 | 0.28 | 0.01 | -66.43 |
| म□ाथियॉन | 3.80 | 3.80 | 5.76 | 3.79 | 3.84 | 3.29 | 2.84 | 2.93 | -6.24 |
| डाइमेथो□ट | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.39 | 1.01 | 0.98 | -9.24 |
| डीडीवीपी | 33.62 | 33.62 | 24.92 | 0.00 | 0.94 | 0.42 | 0.04 | 0.00 | |
| क्विनॉलफॉस | 3.40 | 3.40 | 1.98 | 0.86 | 1.06 | 2.45 | 0.60 | 0.72 | -4.10 |
| मोनोक्रोटोफोस | 13.94 | 13.94 | 21.21 | 5.82 | 7.92 | 7.49 | 5.10 | 11.88 | 19.53 |
| □थियन | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.13 | 2.22 | 2.79 | 2.33 | 2.63 | 5.41 |
| फेनवेलरेट | 4.96 | 4.96 | 4.86 | 0.67 | 0.49 | 0.68 | 0.50 | 0.46 | -8.87 |
| साइपरमेथ्रिन | 24.73 | 26.80 | 44.78 | 10.87 | 12.29 | 16.48 | 10.88 | 8.56 | -5.78 |
| □सीफेट | 20.50 | 20.50 | 51.28 | 21.08 | 29.59 | 29.56 | 33.39 | 37.36 | 15.38 |
| क्लोरपाइरीफोस | 13.40 | 13.40 | 10.90 | 6.50 | 8.53 | 7.62 | 8.45 | 7.79 | 4.64 |
| टेमेफोस | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.06 | 0.13 | -3.75 |
| डेल्टामेथ्रिन | 0.85 | 1.02 | 1.07 | 0.69 | 0.59 | 0.71 | 0.74 | 0.63 | -1.99 |
| □ ल्फामेथ्रिन | 0.60 | 0.64 | 0.64 | 0.44 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.23 | -15.15 |

| प्रमुख रसायनों की उत्पादवार स्थापित क्षमता और उत्पादन | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | (आंकड़े 000'मीट्रिक टन में) |
| **प्रमुख समूह / उत्पाद** | **स्थापित क्षमता** | | | **उत्पादन** | | | | | **सीएजीआर** |
| | **2021-2022** | **2022-2023** | **2023-2024** | **2019-2020** | **2020-2021** | **2021-2022** | **2022-2023** | **2023-2024** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| प्रोफेनोफोस टेक्निकल | 17.30 | 17.40 | 19.64 | 12.36 | 16.08 | 16.25 | 16.10 | 15.14 | 5.21 |
| प्रीटिलाक्लोर तकनीकी | 4.24 | 4.48 | 4.60 | 3.07 | 3.59 | 3.22 | 3.46 | 1.99 | -10.20 |
| ल□डा साइहलोथ्रिन | 3.15 | 3.77 | 10.92 | 2.30 | 1.68 | 2.70 | 3.10 | 2.00 | -3.45 |
| फेन्थो□ट | 0.90 | 0.90 | 1.39 | 1.41 | 1.35 | 1.83 | 1.80 | 1.58 | 2.99 |
| पर्मेथ्रिन टेक | 1.80 | 1.91 | 1.91 | 1.22 | 1.66 | 2.49 | 3.58 | 2.46 | 19.10 |
| इमिडाकालोप्रिड टेक | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| क□टन और क□टाफोल | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 1.46 | 1.46 | 1.90 | 1.63 | 0.89 | -11.67 |
| ज़िराम (थियो बारबामेट) | 0.70 | 0.70 | 0.31 | 0.63 | 0.88 | 0.67 | 0.59 | 0.74 | 3.87 |
| म□कोज़□ | 121.80 | 121.80 | 131.95 | 60.88 | 97.43 | 118.67 | 83.62 | 107.36 | 15.24 |
| हेक्साकोनाज़ोल | 2.82 | 3.46 | 3.46 | 0.75 | 0.81 | 1.28 | 0.61 | 0.84 | 2.77 |
| मेटकोनाज़ोल | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.35 | 0.30 | 9.54 |
| 2, 4-डी | 30.00 | 30.00 | 32.00 | 22.56 | 27.05 | 40.00 | 41.96 | 35.13 | 11.72 |
| □थोफ्यूमेसेट तकनीकी | 1.65 | 1.95 | 2.01 | 0.79 | 0.43 | 0.73 | 0.89 | 0.79 | -0.13 |
| थायमेथोक्सम तकनीकी | 5.10 | 6.32 | 5.82 | 6.15 | 5.21 | 6.56 | 6.43 | 5.06 | -4.78 |

| प्रमुख रसायनों की उत्पादवार स्थापित क्षमता और उत्पादन | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (आंकड़े 000'मीट्रिक टन में) | | | | | | | | | |
| **प्रमुख समूह / उत्पाद** | **स्थापित क्षमता** | | | **उत्पादन** | | | | | **सीएजीआर** |
| | **2021-2022** | **2022-2023** | **2023-2024** | **2019-2020** | **2020-2021** | **2021-2022** | **2022-2023** | **2023-2024** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| पेंडिमेथेलीन | 6.60 | 7.40 | 4.90 | 2.75 | 3.64 | 4.76 | 4.67 | 4.64 | 13.97 |
| मेट्रिब्यूज़िन | 2.87 | 3.84 | 3.84 | 2.65 | 3.19 | 2.00 | 2.34 | 2.04 | -6.27 |
| ट्राइक्लोपायर □सिड तकनीक | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.13 | 0.00 | 0.38 | 0.17 | 0.21 | 12.71 |
| ग्लाइफोसेट | 12.92 | 12.92 | 9.60 | 5.91 | 6.13 | 5.72 | 4.70 | 4.93 | -4.42 |
| डियूरॉन | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.40 | 3.42 | 2.33 | 3.50 | 4.38 | 6.57 |
| □ट्राज़िन | 1.20 | 2.40 | 3.00 | 1.73 | 1.61 | 1.69 | 3.06 | 5.22 | 31.82 |
| जिंक फॉस्फाइड | 1.92 | 1.92 | 2.54 | 1.32 | 1.47 | 2.02 | 1.49 | 2.05 | 11.69 |
| □ल्युमिनियम फॉस्फाइड | 4.74 | 4.74 | 11.04 | 4.91 | 7.61 | 9.90 | 7.37 | 8.02 | 13.01 |
| **कुल** | **380.11** | **388.60** | **443.70** | **192.15** | **255.09** | **299.34** | **258.13** | **280.11** | **9.88** |
| **5. डाई और पिगमेंट** | | | | | | | | | |
| □ज़ो डाई | 21.14 | 18.90 | 17.70 | 8.54 | 6.62 | 9.15 | 7.65 | 6.47 | -6.70 |
| डरक्ट डाई (□ज़ो के □लावा) | 40.90 | 46.00 | 46.00 | 22.75 | 20.22 | 23.97 | 21.16 | 24.84 | 2.22 |
| डिस्पर्सिबल डाई | 77.93 | 92.27 | 90.38 | 61.94 | 51.79 | 65.94 | 60.43 | 65.37 | 1.36 |
| तेल में घुलनशील (सॉल्वेंट डाई) | 3.60 | 1.20 | 1.20 | 2.41 | 0.44 | 0.67 | 0.47 | 0.55 | -30.87 |
| ऑप्टिकल व्हाइटनिंग □जेंट | 67.68 | 67.68 | 65.28 | 20.74 | 18.18 | 22.54 | 16.77 | 19.68 | -1.31 |

| प्रमुख रसायनों की उत्पादवार स्थापित क्षमता और उत्पादन | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (आंकड़े 000'मीट्रिक टन में) | | | | | | | | | |
| **प्रमुख समूह / उत्पाद** | **स्थापित क्षमता** | | | **उत्पादन** | | | | | **सीएजी आर** |
| | **2021-2022** | **2022-2023** | **2023-2024** | **2019-2020** | **2020-2021** | **2021-2022** | **2022-2023** | **2023-2024** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| कार्बनिक वर्णक | 88.36 | 89.02 | 102.69 | 75.08 | 67.27 | 74.34 | 55.60 | 53.93 | -7.94 |
| पिगमेंट इमल्शन | 5.41 | 3.77 | 10.80 | 9.69 | 8.60 | 9.31 | 8.32 | 9.10 | -1.54 |
| री□क्टिव डाई | 197.53 | 216.53 | 221.15 | 156.71 | 132.13 | 161.94 | 117.21 | 136.59 | -3.38 |
| सल्फर डाई (सल्फर ब्ला□क) | 8.25 | 13.20 | 13.20 | 7.45 | 5.09 | 8.58 | 10.68 | 7.93 | 1.60 |
| व□ डाई | 2.86 | 3.34 | 3.34 | 2.13 | 1.99 | 2.32 | 2.44 | 1.73 | -5.06 |
| घुलनशील व□ डाई | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| खाद्य रंग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.49 | 0.71 | 0.92 | 0.78 | 3.77 |
| न□थोल | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| □कार्बनिक पिगमेंट | 18.05 | 18.05 | 18.65 | 16.12 | 14.64 | 18.55 | 16.41 | 17.68 | 2.33 |
| **कुल** | **532.74** | **569.95** | **590.39** | **384.22** | **327.46** | **398.02** | **318.06** | **344.65** | -2.68 |
| **कुल रसायन (1+2+3+4+5)** | **16177.76** | **16538.18** | **17020.92** | **11943.25** | **11243.05** | **12743.14** | **13038.76** | **12975.59** | **2.09** |

*स्रोत: रसायन और पेट्रोरसायन उत्पादों के उत्पादन और स्थापित क्षमता का स्रोत (जिसकी निगरानी रसायन □वं पेट्रोरसायन विभाग के सांख्यिकी और निगरानी प्रभाग (□स□ड□म) द्वारा की जा रही ह□) केवल बड़े और मध्यम प□ाने की इकाइयों के तहत विनिर्माताओं से प्राप्त □मपीआर ह□।*

*नोट: कुछ कीटनाशक और डाई विनिर्माण इकाइयां संयुक्त स्थापित क्षमता की आपूर्ति करती हैं।*

अनुलग्नक- II

**प्रमुख पेट्रोरसायनों की उत्पादवार स्थापित क्षमता और उत्पादन**

*(आंकड़े 000'मीट्रिक टन में)*

| प्रमुख समूह / उत्पाद | स्थापित क्षमता | | | उत्पादन | | | | | सीएजी आर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **क: मूल प्रमुख पेट्रोरसायन** | | | | | | | | | |
| **1. सिंथेटिक फाइबर/यार्न** | | | | | | | | | |
| ऐक्रेलिक फाइबर | 107.00 | 108.00 | 108.00 | 102.90 | 77.02 | 66.68 | 96.15 | 76.21 | **-7.23** |
| पॉलि□स्टर स्टेपल फाइबरफिल | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 49.89 | 40.30 | 39.04 | 34.13 | 34.95 | **-8.51** |
| नायलॉन फिलामेंट यार्न | 66.58 | 66.58 | 64.74 | 48.29 | 33.27 | 46.19 | 44.11 | 38.69 | **-5.39** |
| नायलॉन औद्योगिक यार्न/टायर कॉर्ड | 165.70 | 165.70 | 176.79 | 99.75 | 90.29 | 115.47 | 100.61 | 113.29 | **3.23** |
| पॉलि□स्टर फिलामेंट यार्न | 2661.15 | 2661.15 | 2655.27 | 2520.33 | 1997.93 | 2560.79 | 2486.48 | 2507.83 | **-0.12** |
| पॉलि□स्टर स्टेपल फाइबर | 1350.46 | 1350.46 | 1340.71 | 1027.49 | 909.38 | 1160.48 | 1161.02 | 1025.29 | **-0.05** |
| पॉलीप्रोपाइलीन फिलामेंट यार्न | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 2.52 | 2.17 | 2.81 | 1.92 | 1.92 | **-6.49** |
| पॉलीप्रोपाइलीन स्टेपल फाइबर | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 18.82 | 15.34 | 21.25 | 22.23 | 22.41 | **4.47** |
| पॉलि□स्टर औद्योगिक यार्न | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 14.73 | 12.36 | 14.39 | 13.56 | 14.63 | **-0.17** |

| प्रमुख पेट्रोरसायनों की उत्पादवार स्थापित क्षमता और उत्पादन | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | *(आंकड़े 000'मीट्रिक टन में)* |
| **प्रमुख समूह / उत्पाद** | **स्थापित क्षमता** | | | **उत्पादन** | | | | | **सीएजीआर** |
| | **2021-2022** | **2022-2023** | **2023-2024** | **2019-2020** | **2020-2021** | **2021-2022** | **2022-2023** | **2023-2024** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| इलास्टोमेरिक/स्पान्डेक्स फिलामेंट यार्न | 8.50 | 20.00 | 28.50 | 8.06 | 6.60 | 12.90 | 12.33 | 17.31 | **21.05** |
| **समूह का कुल** | **4483.22** | **4495.72** | **4497.83** | **3892.78** | **3184.65** | **4040.01** | **3972.55** | **3852.54** | **-0.26** |
| **2. पॉलिमर** | | | | | | | | | |
| लीनियर कम घनत्व की पॉलीइथिलीन (□ल□लडीपीई) | कोई □लग क्षमता नहीं | | | 2994.03 | 2958.92 | 2914.12 | 2424.42 | 2749.96 | **-2.10** |
| उच्च घनत्व की पॉलीइथिलीन (□□डीपीई) | कोई □लग क्षमता नहीं | | | 1897.57 | 1910.04 | 1915.77 | 1717.90 | 1961.46 | **0.83** |
| **एलएलडीपीई/एचडीपीई (संयुक्त) *** | **5158.10** | **5158.10** | **5158.10** | **4891.59** | **4868.96** | **4829.89** | **4142.32** | **4711.42** | **-0.93** |
| कम घनत्व की पॉलीइथिलीन | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 613.29 | 616.61 | 583.04 | 625.09 | 581.72 | **-1.31** |
| पॉलीस्टाइरीन (पी□स) | 471.00 | 499.00 | 499.00 | 291.72 | 217.45 | 247.94 | 271.68 | 292.91 | **0.10** |
| पॉलीप्रोपाइलीन(पीपी) | 4933.80 | 4933.80 | 4933.80 | 4982.82 | 4919.10 | 5240.70 | 4773.51 | 5371.20 | **1.89** |

| प्रमुख पेट्रोरसायनों की उत्पादवार स्थापित क्षमता और उत्पादन | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(आंकड़े 000'मीट्रिक टन में)* | | | | | | | | | |
| **प्रमुख समूह / उत्पाद** | **स्थापित क्षमता** | | | **उत्पादन** | | | | | **सीएजीआर** |
| | **2021-2022** | **2022-2023** | **2023-2024** | **2019-2020** | **2020-2021** | **2021-2022** | **2022-2023** | **2023-2024** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| □क्सपेंडेबल पॉलीस्टाइरीन | 147.10 | 193.00 | 199.00 | 110.68 | 87.39 | 97.22 | 108.42 | 118.31 | **1.68** |
| पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) | 1500.00 | 1500.00 | 1550.00 | 1513.59 | 1434.12 | 1471.87 | 1565.59 | 1472.36 | **-0.69** |
| **समूह का कुल** | **12820.00** | **12893.90** | **12949.90** | **12403.69** | **12143.62** | **12470.65** | **11486.62** | **12547.93** | **0.29** |
| **3. सिंथेटिक रबर** | | | | | | | | | |
| स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 227.83 | 212.91 | 237.47 | 205.39 | 245.50 | **1.89** |
| पॉली ब्यूटाडीन रबर | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 130.25 | 128.55 | 132.82 | 126.11 | 134.69 | **0.84** |
| नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर | 13.70 | 15.50 | 17.40 | 0.00 | 11.88 | 12.34 | 13.36 | 14.45 | **0.00** |
| **समूह का कुल** | **399.70** | **401.50** | **403.40** | **358.08** | **353.34** | **382.63** | **344.86** | **394.65** | **2.46** |
| **4. सिंथेटिक डिटर्जेंट इंटरमीडिएट** | | | | | | | | | |
| लीनियर □ल्काइल बेंजीन (लब) | 544.79 | 544.79 | 586.79 | 413.50 | 457.07 | 462.30 | 413.16 | 478.98 | **3.74** |
| □थिलीन ऑक्साइड (ईओ) | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 301.18 | 279.37 | 318.09 | 289.86 | 329.39 | **2.26** |
| **समूह का कुल** | **679.79** | **679.79** | **721.79** | **714.68** | **736.44** | **780.39** | **703.02** | **808.37** | **6.01** |

| प्रमुख पेट्रोरसायनों की उत्पादवार स्थापित क्षमता और उत्पादन | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(आंकड़े 000'मीट्रिक टन में)* | | | | | | | | | |
| प्रमुख समूह / उत्पाद | स्थापित क्षमता | | | उत्पादन | | | | | सीएजीआर |
| | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **5. परफोर्मेन्स प्लास्टिक** | | | | | | | | | |
| नायलॉन-6 | कोई □लग क्षमता नहीं | | | 40.84 | 55.39 | 68.33 | 68.73 | 65.24 | **12.42** |
| नायलॉन 6,6 | कोई □लग क्षमता नहीं | | | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **-100.00** |
| **नायलॉन-6/ नायलॉन 6,6 (संयुक्त) **** | **83.50** | **83.50** | **83.50** | **41.57** | **55.39** | **68.33** | **68.73** | **65.24** | **11.93** |
| □बी□स रेजिन | 199.00 | 199.00 | 203.00 | 136.46 | 121.94 | 122.78 | 148.94 | 167.37 | **5.24** |
| स्टाइरीन □क्रिलोनाइट्राइल (□स□□न) | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 133.79 | 118.61 | 121.75 | 139.07 | 128.86 | **-0.93** |
| पॉलि□स्टर □िप्स/पेट □िप्स | 2558.55 | 2622.55 | 2586.30 | 1344.70 | 1208.99 | 1365.93 | 1254.30 | 1048.91 | **-6.02** |
| पॉलीटेट्राफ्लुओरोइथिलीन (पीटी□फई) | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 15.11 | 14.64 | 18.90 | 17.32 | 14.21 | **-1.52** |
| **समूह कुल** | **3032.25** | **3096.25** | **3060.10** | **1671.63** | **1519.57** | **1697.68** | **1628.37** | **1424.60** | **-3.92** |
| **कुल मूल प्रमुख पेट्रोरसायन** | | | | | | | | | |
| **(1+2+3+4+5)** | **21414.96** | **21567.16** | **21633.02** | **19040.86** | **17937.61** | **19371.36** | **18135.41** | **19028.08** | **-0.02** |

| प्रमुख पेट्रोरसायनों की उत्पादवार स्थापित क्षमता और उत्पादन | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(आंकड़े 000'मीट्रिक टन में)* | | | | | | | | | |
| **प्रमुख समूह / उत्पाद** | **स्थापित क्षमता** | | | **उत्पादन** | | | | | **सीएजीआर** |
| | **2021-2022** | **2022-2023** | **2023-2024** | **2019-2020** | **2020-2021** | **2021-2022** | **2022-2023** | **2023-2024** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **ख: इंटरमीडिएट्स** | | | | | | | | | |
| **1. फाइबर इंटरमीडिएट्स** | | | | | | | | | |
| □क्रिलोनाइट्राइल (□सी□न) | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| क□प्रोल□टम | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 84.06 | 80.41 | 108.17 | 129.64 | 114.62 | **8.06** |
| मोनो □थिलीन ग्लाइकॉल (□मईजी) | 2210.60 | 2210.60 | 2335.60 | 2007.78 | 1981.98 | 1990.16 | 1656.20 | 1683.67 | **-4.31** |
| शुद्ध टेरेफ्थलिक □सिड (पीटी□) | 3873.00 | 3873.00 | 4020.00 | 3267.07 | 2996.76 | 3383.34 | 3202.20 | 3158.00 | **-0.85** |
| **समूह का कुल** | **6227.60** | **6227.60** | **6499.60** | **5358.91** | **5059.15** | **5481.67** | **4988.03** | **4956.29** | **-1.93** |
| **2. बिल्डिंग ब्लॉक्स** | | | | | | | | | |
| **ओलेफिन्स** | | | | | | | | | |
| ब्यूटाडीन | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 481.01 | 458.80 | 477.40 | 429.43 | 509.02 | **1.42** |
| ईथीलीन | 7147.30 | 7147.30 | 7147.30 | 6466.75 | 6364.89 | 6414.52 | 5802.61 | 6057.97 | **-1.62** |
| प्रोपलीन | 5190.38 | 5190.38 | 6180.70 | 4887.62 | 5215.76 | 5635.10 | 5064.00 | 5833.98 | **4.52** |
| **समूह का कुल** | **12889.68** | **12889.68** | **13880.00** | **11835.39** | **12039.45** | **12527.02** | **11296.05** | **12400.96** | **1.17** |

| प्रमुख पेट्रोरसायनों की उत्पादवार स्थापित क्षमता और उत्पादन | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(आंकड़े 000'मीट्रिक टन में)* | | | | | | | | | |
| **प्रमुख समूह / उत्पाद** | **स्थापित क्षमता** | | | **उत्पादन** | | | | | **सीएजीआर** |
| | **2021-2022** | **2022-2023** | **2023-2024** | **2019-2020** | **2020-2021** | **2021-2022** | **2022-2023** | **2023-2024** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **एरोमटिक्स पदार्थ** | | | | | | | | | |
| बेंजीन | 1884.35 | 1884.35 | 1943.02 | 1346.24 | 1407.87 | 1427.55 | 1156.60 | 1291.92 | **-1.02** |
| मिश्रित ज़ाइलीन | 898.33 | 898.33 | 898.33 | 269.63 | 146.68 | 160.87 | 45.43 | 53.04 | **-33.40** |
| ऑर्थोक्सीलीन | 511.00 | 511.00 | 511.00 | 386.39 | 522.12 | 511.15 | 408.37 | 343.19 | **-2.92** |
| टोल्यूनि | 288.27 | 288.27 | 288.27 | 140.16 | 113.99 | 115.66 | 112.50 | 131.73 | **-1.54** |
| पद्मक्सिलीन (पी□क्स) | 3821.70 | 3821.70 | 3919.70 | 2782.33 | 2614.21 | 2461.94 | 1638.87 | 1417.33 | **-15.52** |
| **समूह का कुल** | **7403.65** | **7403.65** | **7560.32** | **4924.74** | **4804.86** | **4677.17** | **3361.78** | **3237.21** | **-9.96** |
| **कुल इंटरमीडिएट** | | | | | | | | | |
| **फाइबर इंटरमीडिएट्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स (1+2)** | **26520.93** | **26520.93** | **27939.92** | **22119.04** | **21903.46** | **22685.86** | **19645.85** | **20594.45** | **-1.77** |
| **ग: पेट्रोलियम आधारित अन्य रसायन** | | | | | | | | | |
| डाइ□थिलीन ग्लाइकॉल | 170.90 | 170.90 | 187.08 | 167.74 | 172.33 | 173.71 | 141.76 | 147.26 | **-3.20** |
| डाय□सीटोन □ल्कोहल | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 6.04 | 2.93 | 5.66 | 3.17 | 0.01 | **-82.25** |

| प्रमुख पेट्रोरसायनों की उत्पादवार स्थापित क्षमता और उत्पादन | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(आंकड़े 000'मीट्रिक टन में)* | | | | | | | | | |
| **प्रमुख समूह / उत्पाद** | **स्थापित क्षमता** | | | **उत्पादन** | | | | | **सीएजीआर** |
| | **2021-2022** | **2022-2023** | **2023-2024** | **2019-2020** | **2020-2021** | **2021-2022** | **2022-2023** | **2023-2024** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| □थिलीन डाइक्लोराइड | 593.20 | 593.20 | 569.00 | 345.29 | 326.24 | 366.96 | 398.62 | 380.20 | **2.44** |
| ब्यूटानॉल | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 16.44 | 20.29 | 38.29 | 42.43 | 41.87 | **26.33** |
| 2-□थिल हेक्सानॉल | 110.20 | 110.20 | 110.20 | 48.75 | 49.67 | 91.26 | 90.22 | 101.52 | **20.13** |
| विनाइल क्लोराइड मोनोमर | 541.30 | 541.30 | 572.30 | 874.47 | 799.22 | 813.08 | 849.31 | 792.33 | **-2.44** |
| पीबीटी** | _ | _ | _ | 6.25 | 6.09 | 7.55 | 7.93 | 7.59 | **4.98** |
| प्रोपलीन ऑक्साइड | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 34.56 | 44.42 | 49.92 | 49.23 | 45.22 | **6.95** |
| प्रोपलीन ग्लाइकोल | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 19.51 | 19.71 | 20.54 | 21.32 | 21.20 | **2.10** |
| □ संतृप्त पॉलि□स्टर राल | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 16.44 | 12.88 | 16.55 | 19.01 | 24.97 | **11.02** |
| मिथाइल मेथक्रिलेट | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **-100.00** |
| इसो- ब्यूटानॉल | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 1.71 | 2.07 | 3.97 | 5.78 | 5.82 | **35.79** |
| सी4-राफिनेट | 291.60 | 291.60 | 291.60 | 413.33 | 433.42 | 444.57 | 393.52 | 448.47 | **2.06** |
| पथेलिक □नहाइड्राइड | 401.91 | 401.91 | 401.91 | 269.64 | 292.96 | 339.62 | 330.16 | 342.35 | **6.15** |
| आइसोप्रोपेनॉल | 70.20 | 70.20 | 70.20 | 60.51 | 55.31 | 65.13 | 48.78 | 60.49 | **-0.01** |
| पोलिओल | 148.53 | 163.03 | 163.03 | 81.75 | 77.83 | 87.15 | 99.83 | 103.09 | **5.97** |

| प्रमुख पेट्रोरसायनों की उत्पादवार स्थापित क्षमता और उत्पादन | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(आंकड़े 000'मीट्रिक टन में)* | | | | | | | | | |
| प्रमुख समूह / उत्पाद | स्थापित क्षमता | | | उत्पादन | | | | | सीएजीआर |
| | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| समूह का कुल | 2676.51 | 2691.01 | 2713.99 | 2364.23 | 2318.32 | 2531.29 | 2510.61 | 2538.00 | 1.79 |
| कुल पेट्रोरसायन (क+ख+ग) | 50612.40 | 50779.10 | 52286.93 | 43524.13 | 42159.38 | 44588.52 | 40291.87 | 42160.54 | -0.79 |

*स्रोत: रसायन और पेट्रोरसायन उत्पादों के उत्पादन और स्थापित क्षमता का स्रोत (जिसकी निगरानी रसायन □वं पेट्रोरसायन विभाग के सांख्यिकी और निगरानी प्रभाग (□स□ंड□म) द्वारा की जा रही ह□) केवल बड़े और मध्यम प□ाने की इकाइयों के तहत विनिर्माताओं से प्राप्त □मपीआर ह□*

*नोट: 1. * □ल□लडीपीई और □□डीपीई दोनों की संयुक्त स्थापित क्षमता।*

*नोट: 2 **□न-6, □न6,6, पीबीटी और पॉली कार्बोनेट की संयुक्त स्थापित क्षमता*

अनुलग्नक III

| स्थान | अंतिम स्वीकृति | भूमि क्षेत्र (एकड़ में) | भूखंडों की कुल संख्या | कुल परियोजना लागत (करोड़ रूपये में) | स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रूपये में) |
|---|---|---|---|---|---|
| तामोट, मध्य प्रदेश | 09.10.2013 | 122 | 172 | 108.00 | 40.00 |
| जगतसिंहपुर, ओडिशा | 09.10.2013 | 120 | 80 | 106.78 | 40.00 |
| तिरुवल्लूर, तमिलनाडु | 05.09.2019 | 240 | 65 | 216.92 | 40.00 |
| तिनसुकिया, असम | 21.02.2014 | 173 | 104 | 93.65 | 40.00 |
| देवघर, झारखंड | 20.12.2018 | 93 | 102 | 67.33 | 33.67 |
| बिलौआ, मध्य प्रदेश | 20.12.2018 | 93 | 107 | 68.72 | 34.36 |
| सितारगंज, उत्तराखंड | 03.12.2020 | 40 | 82 | 67.73 | 33.90 |
| सरोरा, छत्तीसगढ़ | 13.04.2021 | 47 | 48 | 42.09 | 21.04 |
| गंजीमट्ट, कर्नाटक | 21.01.2022 | 104 | 53 | 62.78 | 31.38 |
| गोरखपुर, उत्तर प्रदेश | 13.07.2022 | 88 | 92 | 69.58 | 34.79 |

अनुलग्नक IV

| सं. | उत्कृष्टता केंद्र का शीर्षक | संस्थान का नाम | अनुमोदन | कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.) | स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपए में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सस्टेनेबल पॉलिमर इंडस्ट्री टू रिसर्च एडं इनोवेशन (एसपीआईआरआईटी) | राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे | 2011 | 12.00 | 6.00 |
| 2. | ग्रीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क (जीआरईईटी) | केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई | 2011 | 18.98 | 6.00 |
| 3. | सस्टेनेबल ग्रीन मैटीरीयल्स | केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर | 2013 | 15.045 | 6.00 |
| 4. | एडवांस्ड पॉलिमेरिक मैटीरीयल्स | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली | 2013 | 12.00 | 6.00 |
| 5. | सस्टेनेबल पॉलिमर (सस-पोल) | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी | 2013 | 14.74 | 6.00 |
| 6. | प्रोसेस डिवेलपमेंट वेस्ट वॉटर मैनेजमेंट इन पेट्रोकेमिकल इडस्ट्रीज | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की | 2019 | 13.16 | 4.40 |
| 7. | बायो-इंजीनियर्ड सस्टेनेबल पॉलिमेरिक सिस्टम | केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर | 2019 | 10.01 | 5.00 |
| 8. | स्पेशैलिटी पॉलिमर्स फॉर कस्टमाइज्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग | राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे | 2019 | 5.60 | 2.80 |
| **सं.** | **उत्कृष्टता केंद्र का शीर्षक** | **संस्थान का नाम** | **अनुमोदन** | **कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)** | **स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपए में)** |
| 9. | पॉलिमर कोटिंग्स फॉर डेकोरेटिव, प्रोटेक्टिव एडं स्टैटजिक एप्लिकेशन्स | सीएसआईआर-आईआईसीटी, हैदराबाद | 2020 | 9.72 | 4.86 |

| सं. | उत्कृष्टता केंद्र का शीर्षक | संस्थान का नाम | अनुमोदन | कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.) | स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपए में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | पॉलिमर्स देयर कम्पोजिटस एंड पॉलिमरिक मैम्ब्रेन्स फॉर सस्टेनेबल डिवैलपमेंट ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज | सीएसआईआर-एनईआईएसटी जोरहाट-असम | 2020 | 24.75 | 4.99 |
| 11 | अगली पीढ़ी के जैव-चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण | केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर | 2020 | 10 | 5 |
| 12. | डिजाइन एंड डिवैलपमेंट फॉर वैल्यू एडिड टॉयज ऑफ रबर एंड अलाइड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स | आईआरएमआरए, ठाणे | 2022 | 9.86 | 4.93 |
| 13. | सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलिमर टॉयज | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी | 2022 | 10.59 | 5.00 |
| 14. | कोल टू एसिटिलीन एंड फाइन केमिकल्स | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खान विद्यालय), धनबाद | 2024 | 5.61 | 2.61 |
| 15. | बायोडीग्रेडेबल पैकेजिंग मैटीरीयल (बायोपैक) | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास | 2024 | 9.90 | 4.95 |
| **सं.** | **उत्कृष्टता केंद्र का शीर्षक** | **संस्थान का नाम** | **अनुमोदन** | **कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)** | **स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपए में)** |
| 16. | परफोर्मेन्स केमिकल्स एंड सस्टेनेबल पॉलिमर्स फॉर इंडस्ट्रियल एप्लिकेशन्स | सीएसआईआर-राष्ट्रीय अंतःविषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-एनआईआईएसटी), तिरुवनंतपुरम | 2024 | 15.51 | 5.00 |

| सं. | उत्कृष्टता केंद्र का शीर्षक | संस्थान का नाम | अनुमोदन | कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.) | स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपए में) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | विशेष रसायन | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर | 2024 | 11.86 | 4.99 |
| 18. | ट्रांसपेरेंट एंड बायोकमपैटिबल मेटल-पॉलिमर कम्पोजिट बेस्ड एक्स-रे, गामा रे एंड न्यूट्रॉन शील्ड्स फॉर विंडो एंड पर्सनल प्रोटेक्टिंग एपेरल्स | सीएसआईआर-उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एएमपीआरआई), भोपाल | 2024 | 3.90 | 1.95 |

अनुलग्नक-V

| क्र.सं. | भारतीय मानक / एचएस कोड | रसायनों का नाम | क्यूसीओ को अधिसूचित करने की तारीख | क्यूसीओ के प्रवृत्त होने की तारीख |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आईएस 252:2013 (एचएस कोड: 28151110, 28151190, 28151200) | कॉस्टिक सोडियम | 03.04.2018 | 03.04.2018 |
| 2. | आईएस 695 : 1986 (एचएस कोड 29152100) | एसीटिक एसिड | 05.08.2019 | - |
| 3. | आईएस 517 : 1986 (एचएस कोड 29051100 | मेथनॉल | 05.08.2019 | - |
| 4. | आईएस 2833:2019 (एचएस कोड 29214110) | एनीलाइन | 05.08.2019 | - |
| 5. | आईएस 15573 : 2018 (एचएस कोड 28273200) | पॉली एल्युमिनियम क्लोराइड | 05.08.2019 | 02.02.2020 |
| 6. | आईएस 8058: 2018 (एचएस कोड 29333100) | पायरीडाइन | 16.06.2020 | - |
| 7. | आईएस 16113: 2013, पुनः पुष्टि 2018 (एचएस कोड 29333913) | गामा पिकोलाइन | 16.06.2020 | 13.03.2024 |
| 8. | आईएस 16112: 2013 (एचएस कोड: 29333916) | बीटा पिकोलाइन | 16.06.2020 | - |
| 9. | आईएस 12084: 2018 (एचएस कोड 29333917) | मॉर्फोलाइन | 16.06.2020 | - |
| 10. | आईएस 297: 2001, पुनः पुष्टि 2017 (एचएस कोड 28301000) | सोडियम सल्फाइड | 16.06.2020 | 14.12.2020 |

| क्र.सं. | भारतीय मानक /<br>एचएस कोड | रसायनों का नाम | क्यूसीओ को अधिसूचित करने की तारीख | क्यूसीओ के प्रवृत्त होने की तारीख |
|---|---|---|---|---|
| 11 | आईएस 7129: 1992, पुनः पुष्टि 2015 | पोटेशियम कार्बोनेट | 16.06.2020 | 13.03.2024 |
| | (एचएस कोड 28364000) | | | |
| क्र.सं. | भारतीय मानक /<br>एचएस कोड | रसायनों का नाम | क्यूसीओ को अधिसूचित करने की तारीख | क्यूसीओ के प्रवृत्त होने की तारीख |
| 12. | आईएस 170: 2004, पुनः पुष्टि 2015<br>(एचएस कोड 29141100) | एसीटोन | 16.06.2020 | 13.03.2024 |
| 13. | आईएस 4581: 1978 पुनः पुष्टि 2015<br>(एचएस कोड 28121300) | फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड | 16.06.2020 | 14.12.2020 |
| 14. | आईएस 11744: 1986 पुनः पुष्टि 2015<br>(एचएस कोड 28121400) | फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड | 16.06.2020 | 14.12.2020 |
| 15. | आईएस 11657: 1986 पुनः पुष्टि 2015<br>(एचएस कोड 28121200) | फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड | 16.06.2020 | 14.12.2020 |
| 16. | आईएस 2080: 1980, (पुनः पुष्टि 2016)<br>(एचएस कोड 28470000) | हाइड्रोजन पेरोक्साइड | 16.06.2020 | 22.11.2022 |
| 17. | आईएस 3205: 1984, (पुनः पुष्टि 2015)<br>आईएस 12928: 1990, (पुनः पुष्टि 2017)<br>(एचएस कोड 28366000) | प्रेसिपिटेटेड बेरियम कार्बोनेट | 16.06.2020 | 14.12.2020 |
| 18. | आईएस 4505: 2015<br>(एचएस कोड 28311020) | सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फोक्सिलेट | 16.06.2020 | 14.12.2020 |

| क्र.सं. | भारतीय मानक / एचएस कोड | रसायनों का नाम | क्यूसीओ को अधिसूचित करने की तारीख | क्यूसीओ के प्रवृत्त होने की तारीख |
|---|---|---|---|---|
| 19. | आईएस 6100: 1984, पुनः पुष्टि 2015<br>(एचएस कोड 28353100) | सोडियम ट्रिपोलीफॉस्फेट | 16.06.2020 | - |
| क्र.सं. | भारतीय मानक / एचएस कोड | रसायनों का नाम | क्यूसीओ को अधिसूचित करने की तारीख | क्यूसीओ के प्रवृत्त होने की तारीख |
| 20. | आईएस 7686 : 2020<br>(एचएस कोड 2922 2914) | 3 (एन, एन- डाइ एथिल) अमीनोफेनॉल | 25.05.2021 | 24.11.2021 |
| 21. | आईएस 4566 : 2020<br>(एचएस कोड 29031200) | मेथिलीन क्लोराइड (डाइक्लोरोमेथेन) | 25.05.2021 | 20.11.2023 |
| 22. | आईएस 2012 : 2006, पुनः पुष्टि 2016<br>(एचएस कोड 2804 7020) | लाल फास्फोरस | 25.05.2021 | 24.11.2021 |
| 23. | आईएस 798 : 2020<br>(एचएस कोड 2809 2010) | ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड | 15.06.2021 | 10.12.2022 |
| 24. | आईएस 17439 : 2020<br>(एचएस कोड 2809 2020) | पॉलीफास्फोरिक एसिड | 24.12.2021 | 22.12.2022 |
| 25. | आईएस 17412 : 2020 | ट्राइमेथिल फॉस्फेट | 05.04.2022 | 02.10.2022 |
| 26. | आईएस 17450 : 2020 | 1, 3 फेनिलेनेडायमीन | 27.04.2022 | 24.10.2022 |
| 27. | आईएस 10931:1984 | लॉरिक एसिड | 27.04.2022 | - |
| 28. | आईएस 12029:1986 | एसिड ऑयल | 27.04.2022 | - |
| 29. | आईएस 12067:1987 | पाम फैटी एसिड | 27.04.2022 | - |
| 30. | आईएस 12068:1987 | राइस ब्रान फैटी एसिड | 27.04.2022 | - |
| 31. | आईएस 12069:1987 | नारियल फैटी एसिड | 27.04.2022 | - |
| 32. | आईएस 12124:1987 | रबरसीड फैटी एसिड | 27.04.2022 | 24.10.2022 |
| 33. | आईएस 12361: 1988 | हाइड्रोजनीकृत राइस ब्रान फैटी एसिड | 27.04.2022 | - |

| क्र.सं. | भारतीय मानक / एचएस कोड | रसायनों का नाम | क्यूसीओ को अधिसूचित करने की तारीख | क्यूसीओ के प्रवृत्त होने की तारीख |
|---|---|---|---|---|
| 34. | आईएस 8637 : 2020 | एच एसिड | 14.11.2024 | - |
| 35. | आईएस 11557: 1986 | के एसिड | 14.11.2024 | - |
| 36 | आईएस 18340 : 2023 | विनाइल सल्फोन | 14.11.2024 | - |
| 37 | आईएस 14887: 2014 (एचएस कोड 39232100/39232990) | 50 किग्रा खाद्यान्न की पैकेजिंग के लिए उच्च घनत्व वाले पॉलीइथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) बुने हुए बोरे | 23 अप्रैल, 2020 | **23.10.2020** |
| 38 | आईएस 16208:2015 (एचएस कोड 39232100/39232990) | 10 किग्रा, 15 किग्रा, 20 किग्रा, 25 किग्रा, और 30 किग्रा खाद्यान्न की पैकेजिंग के लिए उच्च घनत्व वाले पॉलीइथिलीन (एचडीपीई) / पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) बुने हुए बोरे | | |
| 39 | आईएस 14968:2015 (एचएस कोड 39232100/39232990) | 50 किग्रा./25 किग्रा चीनी की पैकेजिंग के लिए उच्च घनत्व वाले पॉलीइथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) बुने हुए बोरे | | |
| 40 | आईएस 14252:2015 (एचएस कोड 39232100/39232990) | रेत भरने के लिए उच्च घनत्व वाले पॉलीइथिलीन (एचडीपीई)/ पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) बुने हुए बोरे | | |

| क्र.सं. | भारतीय मानक / एचएस कोड | रसायनों का नाम | क्यूसीओ को अधिसूचित करने की तारीख | क्यूसीओ के प्रवृत्त होने की तारीख |
|---|---|---|---|---|
| 41 | आईएस 11356: 2020<br>एच एस<br>40021100 | **स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर लेटेक्स** | 15 अप्रैल, 2021 | **15.10.2021** |
| 42 | आईएस 336:1973<br>(एचएस कोड 39072010) | **ईथर** | 29 जून, 2020 | **25.12.2021** |
| **क्र.सं.** | **भारतीय मानक /<br>एचएस कोड** | **रसायनों का नाम** | **क्यूसीओ को अधिसूचित करने की तारीख** | **क्यूसीओ के प्रवृत्त होने की तारीख** |
| 43 | आईएस 12795:2020<br>एचएस 38170011 | **लीनियर एल्काइल बेंजीन** | 5 अप्रैल, 2022 | **03.04.2023** |
| 44 | आईएस 17263:2019<br>एचएस: 55032000 | **पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर (पीएसएफ)** | 5 अप्रैल, 2022 | **03.04.2023 (प्रवृत्त)**<br>**"परंतु इस आदेश की कोई भी बात लो मेल्ट पॉलिएस्टर फाइबर पर लागू नहीं होगी।"** |
| 45 | आईएस 16481:2016<br>एचएस: 55032000 | **सीमेंट आधारित मैट्रिक्स में उपयोग के लिए सिंथेटिक माइक्रो-फाइबर** | 5 अप्रैल, 2022 | **03.04.2023** |
| 46 | आईएस 17077:2019<br>एचएस 39033000 | **एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडीन स्टाइरीन (एबीएस)** | 13 सितंबर, 2021 | **12.06.2023**<br>**"परंतु इस आदेश की कोई भी बात टोको ट्रांसड्यूसर के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले एक्रिलोनिट्राइल-ब्यूटाडीन स्टाइरीन (एबीएस) मोल्डिंग और एक्सट्रूज़न सामग्री पर लागू नहीं होगी।"** |

| **क्र.सं.** | **भारतीय मानक / एचएस कोड** | **रसायनों का नाम** | **क्यूसीओ को अधिसूचित करने की तारीख** | **क्यूसीओ के प्रवृत्त होने की तारीख** |
|---|---|---|---|---|
| 47 | आईएस 5158: 1987<br>एचएस 29173500 | **फ्थेलिक एनहाइड्राइड** | 24 दिसंबर,2021 | **22.06.2023** |
| 48 | आईएस 15030:2001<br>एचएस 29173600 | **टेरेफ्थेलिक एसिड** | 24 दिसंबर, 2021 | **22.06.2023** |
| 49 | आईएस 5295:1985<br>एचएस 29053100 | **एथिलीन ग्लाइकॉल** | 24 दिसंबर, 2021 | **28.06.2023** |
| **क्र.सं.** | **भारतीय मानक / एचएस कोड** | **रसायनों का नाम** | **क्यूसीओ को अधिसूचित करने की तारीख** | **क्यूसीओ के प्रवृत्त होने की तारीख** |
| 50 | आईएस 17264:2019<br>एचएस 54023300 | **पॉलिएस्टर औद्योगिक यार्न (आईडीवाई)** | 5 अप्रैल, 2022 | **03.07.2023**<br>**"परंतु इस आदेश की कोई भी बात 500 (पांच सौ) से कम डेनिएर्स पर लागू नहीं होगी"** |
| 51 | आईएस 17261:2019<br>एचएस 54024700 | **पॉलिएस्टर कंटीन्यूअस फिलामेंट फुली ड्रॉन यार्न (एफडीवाई)** | 5 अप्रैल, 2022 | **05.10.2023**<br>"परंतु इस आदेश की कोई भी बात लो मेल्ट पॉलिएस्टर यार्न पर लागू नहीं होगी।" |
| 52 | आईएस 17262:2019<br>एचएस 54024600 | **पॉलिएस्टर पार्शली ओरिएन्टेड यार्न (पीओवाई)** | 5 अप्रैल, 2022 | **05.10.2023** |

| **क्र.सं.** | **भारतीय मानक / एचएस कोड** | **रसायनों का नाम** | **क्यूसीओ को अधिसूचित करने की तारीख** | **क्यूसीओ के प्रवृत्त होने की तारीख** |
|---|---|---|---|---|
| 53 | आईएस 17265:2019<br>एचएस 55092100 | **100 प्रतिशत पॉलिएस्टर स्पन ग्रे और सफेद यार्न (पीएसवाई)** | 5 अप्रैल, 2022 | **05.10.2023** |
| 54 | आईएस 7328:2020<br>एचएस 39011010<br>आईएस 7328:2020<br>(एचएस कोड 39011090)<br>आईएस 7328:2020<br>(एचएस कोड<br>39012000)<br>आईएस 7328:2020<br>एच एस<br>39019090 | **लीनियर कम घनत्व वाली पॉलीइथिलीन (एलएलडीपीई)**<br>पॉलीइथिलीन सामग्री के लिए<br>मोल्डिंग और एक्सट्रूज़न (गुणवत्ता नियंत्रण)<br>विशेष जीआरवीटीवाई वाली अन्य पॉलीथीन में < 0.94 (पीसी) 19<br>पॉलीइथिलीन सामग्री के लिए<br>मोल्डिंग और एक्सट्रूज़न (गुणवत्ता नियंत्रण)<br>विशेष जीआरवीटीवाई वाली पॉलीइथिलीन 0.94 / अधिक (पीसी) 20 (एचडीपीई)<br>पॉलीइथिलीन सामग्री के लिए<br>मोल्डिंग और एक्सट्रूज़न (गुणवत्ता नियंत्रण)<br>*प्राथमिक रूपों में एथिलीन के अन्य पॉलिमर (पीसी) 22<br>पॉलीइथिलीन सामग्री के लिए<br>मोल्डिंग और एक्सट्रूज़न (गुणवत्ता नियंत्रण) | 5 अप्रैल, 2022 | **05.01.2024** |
| | | **"परंतु इस आदेश की कोई भी बात मोल्डिंग और एक्सट्रूज़न के लिए पॉलीइथिलीन सामग्री के निम्नलिखित वर्गों पर लागू नहीं होगी, अर्थात:-**<br>**क)** **कम घनत्व वाली पॉलीइथिलीन एक्सट्रूज़न (एलडीपीई) कोटिंग;**<br>**ख)** **कम घनत्व वाली पॉलीइथिलीन (एलडीपीई) फिल्म ग्रेड (ब्लो/कास्ट) या फार्मा;** | | |

| क्र.सं. | भारतीय मानक / एचएस कोड | रसायनों का नाम | क्यूसीओ को अधिसूचित करने की तारीख | क्यूसीओ के प्रवृत्त होने की तारीख |
|---|---|---|---|---|
| | | ग) लीनियर कम घनत्व वाली पॉलीइथिलीन (एलएलडीपीई) ब्यूटेन ग्रेड;<br>घ) लीनियर कम घनत्व वाली पॉलीइथिलीन (एलएलडीपीई) हेक्सेन/ऑक्टीन ग्रेड;<br>ङ) मेटालोसिन पॉलीइथिलीन ग्रेड;<br>च) पावर केबल, जैकेटिंग और अन्य अनुप्रयोगों के आधार रेजिन; और<br>छ) केबल जैकेटिंग/शीथिंग/पॉलीइथिलीन-80 और पॉलीइथिलीन-100 (काला और पिगमेंटेड)/सुदृढीकरण भराव के लिए यौगिक" | | |
| 55 | आईएस 14709:1999<br>एचएस 29161210 | **एन-ब्यूटाइल एक्रिलेट** | 24 दिसंबर, 2021 | **22.12.2023** |
| **क्र.सं.** | **भारतीय मानक / एचएस कोड** | **रसायनों का नाम** | **क्यूसीओ को अधिसूचित करने की तारीख** | **क्यूसीओ के लागू होने की तारीख** |
| 56 | आईएस 16703:2017<br>एचएस 39269090 | **वस्त्र - 25 किलोग्राम पॉलिमर सामग्री की पैकेजिंग के लिए उच्च घनत्व वाले पॉलीइथिलीन (एचडीपीई) पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) के बुने हुए बोरे** | 6 दिसंबर, 2023 | **6 जून, 2024** |
| 57 | आईएस 17042 (भाग-I): 2020/ आईएसओ 22241-1:2019) | **डीजल इंजन - NOx रिडक्शन एजेंट एयूएस 32** | 26 फरवरी, 2024 | **26 अगस्त, 2024** |
| 58 | आईएस 9755: 2021<br>एच एस<br>39239090 | **वस्त्र-उर्वरकों की पैकेजिंग के लिए उच्च घनत्व वाले पॉलीइथिलीन (एचडीपीई) / पॉलीप्रोपाइलीन के (पीपी) बुने हुए बोरे** | 6 दिसंबर, 2023 | **6 सितंबर, 2024** |
| 59 | आईएस 537:2011<br>एचएस 29023000 | **टोल्यूनि** | 24 दिसंबर, 2021 | **22.12.2025** |
| 60 | आईएस 4105:2020<br>एचएस 29025000 | **स्टाइरीन (विनाइल बेंजीन)** | 5 अप्रैल, 2022 | **24.10.2025** |

| क्र.सं. | भारतीय मानक / एचएस कोड | रसायनों का नाम | क्यूसीओ को अधिसूचित करने की तारीख | क्यूसीओ के प्रवृत्त होने की तारीख |
|---|---|---|---|---|
| 61 | आईएस 12345:1988<br>एचएस 29153200 | **विनाइल एसीटेट मोनोमर** | 22 दिसंबर, 2021 | **31.03.2025** |
| 62 | आईएस 12540:1988<br>एचएस 29261000 | **एक्रिलोनिट्राइल** | 5 अप्रैल, 2022 | **24.10.2025** |
| 63 | आईएस 14707:1999, आईएस 14708:1999 | **मिथाइल एक्रिलेट, एथिल एक्रिलेट** | 22 दिसंबर, 2021 | **31.03.2025** |
| 64 | आईएस 5149:2020<br>एचएस 29171400 | **मैलेइक एनहाइड्राइड** | 5 अप्रैल, 2022 | **24.10.2025** |
| **क्र.सं.** | **भारतीय मानक / एचएस कोड** | **रसायनों का नाम** | **क्यूसीओ को अधिसूचित करने की तारीख** | **क्यूसीओ के प्रवृत्त होने की तारीख** |
| 65 | आईएस 13601: 1993<br>एचएस 39013000 | **एथिलीन विनाइल एसीटेट (ईवीए) कोपॉलिमर** | 5 अप्रैल, 2022 | **03.10.2025** |
| 66 | आईएस 869:2020<br>एचएस 29031500 | **एथिलीन डाइक्लोराइड** | 13 सितंबर, 2021 | **12.03.2025** |
| 67 | आईएस 17370:2020<br>एचएस 29024300 | **पी ज़ाइलीन** | 13 सितंबर, 2021 | **19.03.2025** |
| | | | | |
| 68 | आईएस 14434:1998<br>एचएस 39074000 | **पॉलीकार्बोनेट** | 13 सितंबर, 2021 | **12.03.2025** |

| क्र.सं. | भारतीय मानक / एचएस कोड | रसायनों का नाम | क्यूसीओ को अधिसूचित करने की तारीख | क्यूसीओ के प्रवृत्त होने की तारीख |
|---|---|---|---|---|
| 69 | आईएस 17397 (भाग 1) : 2020<br>एचएस 39095000 | **पॉलीयूरेथेन्स** | 13 सितंबर, 2021 | **19.03.2025** |
| 70 | 17442:2020<br>29032100 | **विनाइल क्लोराइड मोनोमर** | 13 सितंबर, 2021 | **12.03.2025** |
| 71 | आईएस 11652:2017<br>एचएस 39269090 | **वस्त्र - 50 किलो सीमेंट की पैकेजिंग के लिए उच्च घनत्व वाले पॉलीइथिलीन (एचडीपीई) / पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) बुने हुए बोरे** | 6 दिसंबर, 2023 | **6 जून, 2025** |
| 72 | एचएस 39269090<br>आईएस 16709:2017 | **वस्त्र - 50 किलो सीमेंट की पैकेजिंग के लिए पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) बुने हुए, लेमिनेटेड, ब्लॉक बॉटम वाल्व बोरे** | 6 दिसंबर, 2023 | **6 जून, 2025** |
| 73 | आईएस 17399:2020<br>एचएस 39269090 | **वस्त्र - मेल छंटाई, भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) / उच्च घनत्व वाले पॉलीइथिलीन (एचडीपीई) लेमिनेटेड बुने हुए बोरे** | 6 दिसंबर, 2023 | **6 जून, 2025** |
| 74 | आईएस 17658:2021 | **पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) होमोपॉलिमर** | 26 फरवरी, 2024 | **24.06.2025** |
| 75 | आईएस 10951: 2020 | **मोल्डिंग और एक्सट्रूज़न के लिए पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) सामग्री** | 26 फरवरी, 2024 | **24.06.2025** |

**अनुलग्नक - VI**

## योजना-वार परिव्यय

**(करोड़ रुपए में)**

| क्रम सं. | योजना का नाम | बीई 2024-25 | आरई 2024-25 |
|---|---|---|---|
| **1** | **केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं** | | |
| 1.1 | पेट्रोरसायन की नई योजनाएँ | 25.00 | 33.50 |
| **2** | **अन्य केन्द्रीय व्यय (सचिवालय/बीजीएलडी/एबी/पीएसयू)** | | |
| 2.1 | सचिवालय-आर्थिक-सेवाएँ | 31.68 | 29.61 |
| 2.2 | केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) | 36.37 | 44.20 |
| 2.3 | कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) | 20.65 | 17.15 |
| 2.4 | हिल (इंडिया) लिमिटेड | 120.06 | 120.06 |
| 2.5 | भोपाल गैस रिसाव आपदा (बीजीएलडी) | 25.35 | 17.47 |
| | **कुल** | **259.11** | **261.99** |

**व्यय 2023-24 और 2024-25**

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | योजनाएं | बीई 2023-24 | आरई 2023-24 | व्यय 2023-24 | आरई के संबंध में व्यय का % (2023-24) | बीई 2024-25 | आरई 2024-25 | 31.12.2024 तक व्यय | आरई के संबंध में व्यय का % (2024-25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I** | **केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं** | | | | | | | | |
| 1 | पेट्रोरसायन की नई योजनाएँ | 22.00 | 18.00 | 18.00 | 100% | 25.00 | 33.50 | 14.86 | 44.36% |
| | **I का कुल** | **22.00** | **18.00** | **18.00** | **100%** | **25.00** | **33.50** | **14.86** | **44.36%** |
| **II** | **अन्य केन्द्रीय व्यय (सचिवालय/बीजीएलडी/एबीएस/पीएसयू)** | | | | | | | | |
| 1 | सचिवालय (राजस्व+पूंजीगत) | 22.55 | 28.18 | 26.89 | 95.42% | 31.68 | 29.61 | 20.17 | 68.12% |
| 2 | भोपाल गैस रिसाव आपदा (बीजीएलडी) (राजस्व+पूंजीगत) | 23.40 | 18.31 | 16.41 | 89.62% | 25.35 | 17.47 | 12.51 | 71.61% |
| 3 | केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) | 92.88 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 36.37 | 44.20 | 27.28 | 61.72% |
| 4 | कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) | 12.62 | 14.12 | 14.12 | 100% | 20.65 | 17.15 | 8.44 | 49.21% |
| | **II का कुल** | **151.45** | **67.89** | **57.42** | **84.58%** | **114.05** | **108.43** | **68.40** | **63.08%** |
| | **कुल (I + II)** | **173.45** | **85.89** | **75.42** | **87.81%** | **139.05** | **141.93** | **83.26** | **58.66%** |
| **III** | **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण** | | | | | | | | |
| 1. | हिल (इंडिया) लिमिटेड (एचआईएल) | 0.00 | 486.74 | 399.18 | 82.01% | 120.06 | 120.06 | 120.06 | 100% |
| | **कुल योग (I+II+III)** | **173.45** | **572.63** | **474.60** | **82.88%** | **259.11** | **261.99** | **203.32** | **77.61%** |

**<u>रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग का संगठनात्मक चार्ट (17.12.2024 की स्थिति के अनुसार)</u>**